UPET010099092018

न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या- 01, एटा।

उपस्थितः मनीषा, उच्चतर न्यायिक सेवा, J.O.code UP 6137

सत्र परीक्षण संख्या–522 सन् 2018

उ०प्र० राज्य

प्रति

1. दयाराम पुत्र बाबूराम]
2. दफेदार पुत्र दयाराम]
3. जिलेदार पुत्र दयाराम]
4. रामप्रकाश पुत्र पुत्र मौजीराम]
5. सत्यपाल पुत्र मौजीराम] निवासीगण–बहलोलपुर, थाना–सकीट जिला एटा।
6. औकेश पुत्र मौजीराम]
7. मनोज पुत्र मौजीराम]
8. श्रीमती हीरावती पत्नी सत्यपाल]
9. पप्पी पुत्री दयाराम]
10. श्रीमती सोमवती पत्नी दयाराम]

अ०सं०–139/2017

धारा– 147, 148, 307/
149, 504 भा०द०स०
थाना–सकीट, जिला–एटा।

1.	अभियोजक	उत्तर प्रदेश सरकार
2.	प्रतिनिधित्व	सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) श्री मोहित कुमार एड०
3.	अभियुक्त	दयाराम, दफेदार, जिलेदार, रामप्रकाश, सत्यपाल, औकेश, मनोज, श्रीमती हीरावती, पप्पी एवं श्रीमती सोमवती
4.	प्रतिनिधित्व	श्री बी.डी. गोयल एड० श्री रामनिवास एड० श्री फैजाम अहमद खाँ एड०
5.	घटना की तिथि	12–06–2017

Digitally signed by MANISHA
Date: 2026.07.17 17:20:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

6.	प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की तिथि	12–06–2017
7.	आरोप विरचित किये जाने की तिथि	05–01–2019
8.	साक्ष्य प्रारम्भ करने की तिथि	24–01–2019
9.	बयान धारा 313 दं०प्र०स० अंकित किये जाने की तिथि	14–05–2026
10.	निर्णय की तिथि	17–07–2026
11.	निर्णय परिणाम	दोषमुक्त

निर्णय

1. उपरोक्त दाण्डिक वाद का आरम्भ वादी मुकदमा लक्ष्मीनरायण द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण दयाराम, दफेदार, जिलेदार, रामप्रकाश, सत्यपाल, औकेश, मनोज, श्रीमती हीरावती, पप्पी एवं श्रीमती सोमवती के विरुद्ध थाना सकीट जिला एटा में अ०सं०–139/2017 धारा–147, 148, 149, 307, 504 भा०दं०सं० थाना–सकीट, जिला–एटा के अंतर्गत दर्ज किए जाने एवं बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्तगण दयाराम, दफेदार, जिलेदार, रामप्रकाश, सत्यपाल, औकेश, मनोज, श्रीमती हीरावती, पप्पी एवं श्रीमती सोमवती के विरुद्ध आरोप–पत्र धारा–147, 148, 149, 307, 504 भा०दं०सं० भा०दं०सं० के अंतर्गत प्रेषित किए जाने पर हुआ।
2. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी द्वारा इस आशय की तहरीर दी गई कि " प्रार्थी लक्ष्मी नारायण पुत्र मनोहर सिंह निवासी बहलोलपुर थाना सकीट, एटा का है। आज दिनाँक 12–06–2017 समय करीब नौ बजे सुबह मैं अपने खेत को लेबलिंग करा रहा था। उसी समय गाँव के दयाराम पुत्र बाबूराम, दफेदार एंव जिलेदार पुत्रगण दयाराम, रामप्रकाश, सत्यपाल, औकेश, मनोज पुत्रगण मौजीराम श्रीमती हीराबती पत्नी सत्यपाल और दयाराम की बेटी (पप्पी) और उसकी पत्नी आदि लोग एक राय मशवरा होकर प्रार्थी के खेत पर गाली गलौज करते हुए नाजायज असलाहों के साथ प्रार्थी को जान से मारने की नीयत से फायर किए, जिससे प्रार्थी बाल–बाल बच गया। मौके पर गाँव के राजपाल पुत्र अजव सिंह, धीरेन्द्र सिंह पुत्र नाहर सिंह ने उसे बचाया व मौके पर देखा तथा सुना है जिसकी सूचना आपको दी आप मौके पर पहुँचे तो उक्त लोग मौके से भाग गए। अतः आप से निवेदन है कि उपरोक्त कथनों को देखते हुए उचित कार्यवाही करे।"

3. वादी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर **प्रदर्श क–1** के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्तगण दयाराम, दफेदार, जिलेदार, रामप्रकाश, सत्यपाल, औकेश, मनोज, श्रीमती हीरावती, पप्पी एवं श्रीमती सोमवती के विरुद्ध थाना सकीट जिला एटा में अ०सं०– 139/2017 धारा–147, 148, 149, 307, 504 भा०दं०सं०थाना–सकीट, जिला–एटा पर दिनांक 16–06–2017 को मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसका खुलासा रपट सं.39, समय 17–30 बजे किया गया।
4. मुकदमे की विवेचना उपनिरीक्षक दिनेश कुमार वर्मा द्वारा की गई। उनके द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया, वादी तथा गवाहों के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० अंकित किए गए। विवेचक ने निमंत्रण पत्र सहित साक्ष्य एकत्रित किया और साक्ष्यों के आधार पर विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्तगण दयाराम, दफेदार, जिलेदार, रामप्रकाश, सत्यपाल, औकेश, मनोज, श्रीमती हीरावती, पप्पी एवं श्रीमती सोमवती के विरुद्ध थाना सकीट कलॉ जिला एटा में अ०सं०– 139/2017 धारा–147, 148, 149, 307, 504 भा०दं०सं०थाना–सकीट, जिला–एटा के अन्तर्गत प्रेषित किया गया। जिस पर दिनांक 01–12–2017 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या–17, एटा द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया और मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाते हुए सम्बन्धित अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 16–10–2018 को सत्र सुपुर्द किया गया जो सत्र परीक्षण संख्या 522/2018 राज्य बनाम दयाराम आदि के रूप में दर्ज हुआ।
5. विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 05–01–2019 को अभियुक्तगण दयाराम, दफेदार, जिलेदार, रामप्रकाश, सत्यपाल, औकेश, मनोज, श्रीमती हीरावती, पप्पी एवं श्रीमती सोमवती पर धारा 147, 148, 307/149, 504 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया, अभियुक्तगण ने दोषी होने के अभिवचन से इंकार किया एवं परीक्षण की याचना की।
6. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 307, 504, 506 भा०दं०सं० साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये।

क्र.स.	**साक्षीगण**	**अभियोजन साक्षी का नाम**
01.	पी०डब्लू–1	वादी मुकदमा लक्ष्मीनरायण
02.	पी०डब्लू–2	धीरेन्द्र सिंह
03.	पी०डब्लू–3	चरन सिंह
04.	पी०डब्लू–4	मुनेन्द्र कुमार
05.	पी०डब्लू–5	राजपाल
06.	पी०डब्लू–6	उपनिरीक्षक संजीव कुमार

07.	पी०डब्लू–7	निरीक्षक दिनेश कुमार वर्मा
08.	पी०डब्लू–8	सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक हुकुम सिंह

7. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित प्रलेखीय साक्ष्य दाखिल की गयी है।

क्र.स.	**अभियोजन प्रपत्र**	**प्रदर्श**
01.	तहरीर वादी	प्रदर्श क–1
02.	आरोप पत्र	प्रदर्श क–2
03.	नक्शानजरी	प्रदर्श क–3
04.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–4
05.	जी०डी०कार्बन प्रति	प्रदर्श क–5

8. अभियोजन द्वारा अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में कुल 08 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया।

9. अभियोजन द्वारा अपने केस को साबित करने हेतु बतौर साक्षी **पी०डब्लू०–1** वादी मुकदमा लक्ष्मीनरायण को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 12–06–2017 को समय 09–00 बजे करीब सुबह वह अपने खेत की लेवलिंग करा रहा था। उसी समय गांव के दयाराम पुत्र बाबूराम, दफेदार एवं जिलेदार पुत्रगण दयाराम, रामप्रकाश, सत्यप्रकाश, औकेश, मनोज पुत्रगण मौजीराम तथा श्रीमती हीरावती पत्नी सत्यपाल और दयाराम की बेटी पप्पी और दयाराम की पत्नी सोमवती एक राय मशवरा होकर अवैध आयुधों से लैस होकर उसके खेत पर आकर गालियां देते हुए, उसके ऊपर जान से मारने के आशय से गोली चालये, जिससे वह बाल–बाल बच गया। मौके पर गांव के राजपाल पुत्र अजब सिंह, धीरेन्द्र पुत्र नाहर सिंह आ गये, जिन्होंने उसे बचाया तथा घटना देखी। इस घटना की सूचना उसने मौके पर से ही अपने मोबाइल द्वारा थानाध्यक्ष के फोन पर तथा 100 नम्बर के फोन पर दी थी और थोड़ी देर में ही मौके पर पुलिस आ गयी थी। पुलिस को आता हुआ देखकर अभियुक्तगण भाग गये थे। फिर वह इस घटना की लिखित सूचना लिखकर थाने पहुँचा था और अभियोग पंजीकृत कराया था। वह लिखित सूचना पत्रावली पर प्रपत्र संख्या–5 अ है, उसके लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। अभियोग लिखे जाने के बाद उपनिरीक्षक ने उसका कथन लिया था और मौका मुआयना कर नक्शानजरी बनाया था और उसने उनको पूरी बात बता दी थी। विवेचना के दौरान पुलिस कई बार अभियुक्तगण को गिरफतार करने गांव में आयी थी तो यह कई बार भाग गये थे, किन्तु दिनांक 18–06–2017 को जब पुलिस अभियुक्तगण के यहाँ दबिश देने आयी थी तो उपरोक्त सभी अभियुक्तगणों ने उनके ऊपर जान से मारने के आशय से फायर करके अभियुक्त मनोज को छुड़ा लिया था, जिसका अभियोग पुलिस ने

उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना सकीट पर अपराध संख्या–143/2017 पर पंजीकृत कराया था। दिनांक 18–06–2017 को पुलिस ने मु०अ०स० 147/2017 पर धारा 147,148,332,307,353,224,336 भारतीय दंड संहिता तथा 07 क्रि०लॉ अमेंडमेट एक्ट के अंतर्गत अभियुक्तगण दयाराम, दफेदार, जिलेदार, रामप्रकाश, सत्यप्रकाश, औकेश, कु०पप्पी,हीरावती,सोमवती, नामवती पत्नी पिंकू,मनोज और 10–12 अज्ञात लोगों के विरूद्ध पंजीकृत कराया था, चिक रिपोर्ट पत्रावली पर दाखिल है।

10. बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर पी०डब्लू०–1 लक्ष्मीनरायण ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि अभियुक्त दयाराम के दो लड़के हैं, जिनमें बड़े का नाम जिलेदार, छोटे का नाम दफेदार है। अभियुक्त राम प्रकाश, सत्यपाल, मुकेश व मनोज, मौजीराम के लड़के हैं। मौजीराम के कल 8 लड़के हैं। अभियुक्त पप्पी दयाराम की पुत्री है तथा जिलेदार व दफेदार की बहन है। अभियुक्त सोमवती, दयाराम की पत्नी है। अभियुक्त सत्यपाल की पत्नी हीरावती है, जो इस केस में अभियुक्त है। अभियुक्त दयाराम के परिवार के सभी सदस्य का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसने लिखाया मौजीराम के चारों लड़कों का नाम उसने रिपोर्ट में लिखाया था तथा मौजीराम, दयराम का अन्य कोई लड़का नहीं है। वह आर्मी से सूबेदार मेंजर के पद से सेवानिवृत है। यह घटना आज से लगभग पौने दो साल पहले की है। वह घर से समय 8:30 बजे खेत के लिए सुबह निकला था। खेत घर से करीब 500–600 मीटर दूर होगा। रास्ते में अभियुक्तगणों का मकान नहीं पड़ता है। घर से वह अकेला ही निकला था, कोई साथ नहीं था। घर से खेत तक पहुंचने में रास्ते में उसे कोई भी अभियुक्तगण नहीं मिला। घर से लेकर खेत तक जाने के बीच यह उसे FIR में दर्शाया गया कि कोई भी साक्षी नहीं मिले। वह घर से खाली हाथ चला था। उसके पास घटना के समय मोबाइल मौजूद था। घर से खेत पहुंचने में उसे 15–20 मिनट लगा होगा। उसके खेत पर पहुंचने से पहले उसकी पत्नी खेत पर मौजूद थी। वह 15–20 मिनट पहले खेत के लिए निकली थी। उसकी पत्नी का नाम रीता देवी है। वह उसके सामने घर से गई थी। उसने ही उसे भेजा था। वह भी खेत पर खाली हाथ गई थी। इसके अलावा खेत पर अन्य कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। खेत पर पहुंचने के 5–7 मिनट बाद उसने सबसे पहले अभियुक्त मनोज को देखा था,जिस समय उसने अभियुक्त मनोज को दिखा। उस समय कोई अभियुक्त वहां मौजूद नहीं था। अभियुक्त मनोज उस खेत से 400–450 मीटर दूर खड़ा था। अभियुक्तगणों का कोई खेत उसके खेत के आसपास नहीं है। उसके व अभियुक्तगणों के खेत के बीच की दूरी 500–600 मीटर हागी। अभियुक्तगणों का खेत उसके खेत से उत्तर दिशा में है। अभियुक्त मनोज घटना के समय उत्तर–पश्चिम दिशा की ओर, उसके स्थान से खड़ा था और उसकी ओर बढ़कर आ रहा था। घटना स्थल से अभियुक्तगणों की घर की दूरी लगभग 700 मीटर होगी। उसके घर से अभियुक्तगणों के घर की दूरी लगभग 800–900 मीटर दूर होगी। किसी भी अभियुक्तगण के खेत की मेड़ उसके खेत की मेड़ से मिली नहीं है और ना ही खेत की

पैमाइश को लेकर अभियुक्तगणों से झगड़ा है और ना ही इससे पूर्व अभियुक्तगणों के साथ उसका कोई झगड़ा हुआ था। लेकिन उसने उच्च अधिकारियों को अपने खेत की बावत प्रार्थना पत्र दी थी। उसमें अभियुक्तगणों का जिक्र था। उसने वह प्रार्थना पत्र इस बावत दी थी कि अभियुक्तगणों ने अपने खेत के मेंड़ पड़ने वाली नाली को काटकर अपने खेत की मेड़ उसके खेत से मिला दी है और यह भी शिकायत की थी कि अभियुक्तगण अपनी मेड़ को बढ़ाकर उसकी मेड़ तोड़कर उसके खेत में घुस आये हैं। चूंकि अभियुक्तगण उसकी मेड़ तोड़कर उसके खेत में घुस आये थे तो यह बात उसे बुरी लगी थी। मेड़ तोड़ने वाली बात घटना से काफी बाद की है। घटना से पहले उच्च अधिकारियों को खेत के बावत कोई प्रार्थनापत्र नहीं दिया गया था। उपनिरीक्षक ने मौका मुआयना उसके सामने घटना की बावत किया था। घटना के बावत उपनिरीक्षक ने मौका मुआयना 17 व 18/06/2017 को किया था। मौका मुआयना के समय उसके दस्तखत नहीं कराए थे। वह दिशाओं का ज्ञान रखता है। घटनास्थल पर अभियुक्तगण अलग–अलग दिशाओं से आए थे। अभियुक्त मनोज उत्तर–पश्चिम दिशा से, सत्यपाल भी उसी दिशा से आया था। औकेश भी इस दिशा से आया था। बाकी अभियुक्तगण उत्तर–पूर्व दिशा से आए थे। जिस खेत में वह घटना के समय मौजूद था। उस समय उस खेत में कोई फसल नहीं थी। आसपास के खेत में चारा वगैरा की फसले थी। वह ट्रैक्टर से अपने खेत में लेवलिंग कर रहा था। ट्रैक्टर चलाने वाला बाहर का रहने वाला था। नाम नहीं मालूम है। वह घटना के समय अपने खेत की पूरव दिशा वाली मेड़ पर था। साक्षीगण उसके खेत से थोड़ी दूरी पर बकरियां चरा रहे थे। उसने उपनिरीक्षक को मौका मुआयना के समय साक्षीगण बकरी चरा रहे थे, वाला स्थान बता दिया था। उसने उपनिरीक्षक को अभियुक्तगणों के जाने वाली दिशाएं बता दी थी। घटना के बाद उपनिरीक्षक ने घटना के बाबत उससे पूछताछ की थी। पूछताछ थाने पर व घटनास्थल पर की थी। घटना के बाद लगातार 5–6 दिन तक पूछताछ होती रही। उपनिरीक्षक जब उससे पूछताछ करते थे, तब वह अपनी डायरी में लिखते थे। उसने थाने में दी गई लिखित सूचना में लाठी–डंडा लेकर आने वाली बात लिखी थी, लेकिन न्यायालय में पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 5 अ लिखित सूचना में लाठी डंडे वाली बात नहीं लिखी है, परंतु कुछ लोगों पर लाठी–डंडा था, लेकिन उसने अपने बयानों में उपनिरीक्षक को लाठी डंडे वाली बात भी बताई थी। अभियुक्तगण हीरावती के पास न्यायालय की छत से भी ऊंचा डंडा था, जिसकी लंबाई लगभग 10–12 फीट ऊंची थी। अभियुक्तगण पप्पी के हाथ में डंडा था, कितना लंबा था, वह नहीं बता सकता। लेकिन यह बात सही है कि हीरावती और पप्पी के हाथ में केवल डंडे थे और सोमवती के हाथ में भी केवल डंडा था। पूरी घटना में इन तीनों के हाथ में केवल डंडे ही रहे। घटना के समय कितने फायर हुए थे वह गिनती नहीं बता सकता। क्योंकि वह अनगिनत थे, लेकिन यह सारे के सारे फायर उसे लक्ष्य बनाकर किए गये थे। इतने सारे फायर होने के बावजूद उसके एक भी छर्रे नहीं लगे। वह फौजी है। अभियुक्तगण

ने किस बोर का फायर किया वह नहीं बता सकता। उसने इन सभी अनगिनत फायरों से अपना बचाव खेत की मेड तालाब के किनारे व पेड़ की पीछे छुप कर किया था। लेकिन पेड़ पर एक भी फायर नहीं लगा था। देशी पिस्तौल अभियुक्तगण मनोज, सत्यपाल, राम प्रकाश के हाथों में थे। राइफल दफेदार के हाथ में था। चारों असलहे अभियुक्तगण अपने घर से लाए थे। उपनिरीक्षक ने उसके बयान में महिलाओं को असलहे लेकर आने वाली बात, उसके बयानों में लिखी है, तो वह इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। उसने जो लिखित सूचना थाने में दी थी, उसमें सोमवती का नाम था, जो की दयाराम की पत्नी है। लेकिन किसी अभियुक्तगण ने जिनके पास लाठी डंडा था। उन्होंने लाठी–डंडा उसे नहीं मारा। क्योंकि वह डंडे वाले, उससे 100–200 मीटर की दूरी पर थे। यह कहना गलत है कि उसका अभियुक्तगण से मेड़ की बाबत कोई विवाद हो, इस कारण यह झूठी घटना बनाई हो। यह कहना भी गलत है कि वह फौजी है और क्षेत्र में दबदबा कायम कर गरीबों पर झूठे मुकदमे लगता है। यह कहना गलत है कि उसके साथ ऐसी कोई घटना ना हुई हो। उसने उपनिरीक्षक को घटना में प्रयुक्त खोंखे उठाकर नहीं दिए थे। घटना के तुरंत बाद पुलिस की तीन गाड़ियां आ गई थी। वे अभियुक्तगण के डर से घटनास्थल से भाग गए थे। उसके भगाने के बाद पुलिस आई तब उसे बुलाया। उपनिरीक्षक ने कहा की कहां है फौजी बुलाओ फायरिंग हुई है। वह तुरंत आया उसने पुलिस वालों से कहा कि अब उसके ऊपर तो फायरिंग हो गई। फिर कहा कि उपनिरीक्षक को उसने फोन करके बुलाया था। वह बोला कि जल्दी–जल्दी आओ जान खतरे में है, तब उपनिरीक्षक आए, पहले उसने फोन उपनिरीक्षक को किया था। घटनास्थल पर पुलिस के आने के बाद किसी अन्य के द्वारा उसे बुलाया था। अभियुक्तगण पुलिस को देखकर भागे थे। अगर पुलिस मौके पर ना आती तो उसकी हत्या हो सकती थी। फिर उसे उपनिरीक्षक ने कहा कि रिपोर्ट लिखाने थाने चलो। वह उनके पीछे–पीछे थाने गया। उपनिरीक्षक ने थाने में रिपोर्ट लिखने के लिए कागज दिया था। पेन उसके पास था। तब उसने उपनिरीक्षक से हटकर अलग बैठकर थाने में प्रार्थना पत्र लिखा था। घटना होने के बाद और लिखित सूचना लिखे जाने तक लगभग दो घंटा लगा होगा। घटना सुबह 9:00 बजे की है। लिखित सूचना उसने मुंशी जी को सुबह 11:00 तक दे दी थी, उसने लिखित सूचना पर हस्ताक्षर किए थे। लिखित सूचना पर उसने हिंदी में हस्ताक्षर किए थे। उसने लिखित सूचना पर अपना नाम व पता लिखा है। वहीं उसके हस्ताक्षर हैं। इससे पूर्व उसकी अभियुक्तगण से कोई विवाद नहीं हुआ है। यह कथन किया है कि आज वह झूठा बयान दे रहा है। मौके पर उसने ना कोई छर्रा देखा, ना कारतूस वह मौके से भाग गया था। घटना के लगभग 30–40 मिनट पश्चात पुलिस घटनास्थल पर आ गई थी। उसे नहीं मालूम की कुल कितने पुलिस वाले घटनास्थल पर आए थे। फिर कहा मौके पर पुलिस की तीन गाड़ियां आ गई थी। पुलिस ने घटनास्थल पर आने के बाद उसे घटनास्थल पर बुलाया था। पुलिस वालों की मौजूदगी में कोई खोखा या छर्रा नहीं देखा

था। उसने या पुलिस वालों ने घटनास्थल के आसपास पेड़ चरी के खेत में कोई खोखा या छर्रा नहीं देखा था। घटनास्थल से उसे पुलिस वाले थाने नहीं लाये थे। वह घटनास्थल से घटना होने के बाद, आधे घंटे में थाना पहुंच गया था। पुलिस के जाने के आधे घंटे बाद वह थाने पहुंच गया था। घटना होने के बाद वह करीब 10:30–11:00 बजे थाने पहुंच गया था। वह थाने में लिखित सूचना खुद लिखी थी। उसने लिखित सूचना पर अपना पूरा नाम लिखा है। वही उसके हस्ताक्षर हैं। उसने लिखित सूचना लिखकर उपनिरीक्षक को या मुंशीजी को प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने के लिए दी। जो उसने लगभग 12:00 बजे दी थी और 12:00 बजे पुलिस वालों ने फिर लिख ली। रामप्रकाश, सत्यपाल, औकेश और मनोज पर अवैध देशी पिस्तौल थे और हीरावती पर बांस लंबा वाला था। ऐसा उसने लिखित सूचना में नहीं लिखा था कि किसके पास क्या था। उसने उसी दिन पुलिस को अपना कथन दिया था। उस दिन के बाद उसने उपनिरीक्षक को इस घटना के बाबत कोई बयान नहीं दिया था। इस घटना के संबंध में उसने एस०एस०पी० एटा को अपना शपथ पत्र दिया था, जो कागज संख्या 10 अ/6 पत्रावली पर संलग्न है जो उसके द्वारा दिया गया है। उपनिरीक्षक ने घटना के दिन उसका बयान लिया था। उसने इस आशय का शपथ पत्र एस०एस०पी० एटा को दिया था कि उसका कोई अन्य बयान उपनिरीक्षक द्वारा नहीं लिया गया। उसने एस०एस०पी० को जो शपथ पत्र दिया था। उसमें नहीं लिखा था कि किन अभियुक्तगण पर क्या–क्या असलहे थे। उपनिरीक्षक को उसने बयान दिया था। उसमें भी उसने नहीं बताया था कि किस अभियुक्तगण पर क्या–क्या असलहे थे। उसने अपनी लिखित सूचना में चरण सिंह व मुनेंद्र कुमार का नाम साक्षी के रूप में अपनी लिखित सूचना में नहीं लिखा था। उसने उपनिरीक्षक को भी अपने बयान में नहीं बताया था कि चरण सिंह व मुनेंद्र कुमार ने घटना देखा एवं उसे बचाया। सभी अभियुक्तगण घटना स्थल पर अलग–अलग दिशा से आए थे जिनकी संख्या दो भी थी, तीन भी थी और अलग–अलग दिशाओं से अभियुक्तगण ने आकर फायर करे थे। घटनास्थल पर अभियुक्तगण में से कोई 01 मिनट बाद आया था, कोई 02 मिनट बाद आया। फिर भी कोई किसी प्रकार की फायर के उन्हें कोई चोट नहीं। लाठी डंडा लिए अभियुक्तगण कोई 100 मीटर की दूरी पर खड़ा था। कोई डेढ़ सौ मीटर की दूरी पर खड़ा था। सबसे पहले जो फायर उस पर हुआ। वह लगभग 100–100 मीटर की दूरी से हुआ था। फायर करते हुए सभी अभियुक्तगण उसके पास तक नहीं आए थे। जब उसने देखा कि वह गिर गया है। तब वह अपनी जान बचाने के लिए घटनास्थल से भाग गया। ट्रैक्टर ड्राइवर भी पहले तो ट्रैक्टर के पीछे छिपा फिर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया,ना उसका ट्रैक्टर था ना ही उसका ड्राइवर था। इसलिए वह उसका नाम नहीं बता सकता। घटना के समय वह व उसकी पत्नी अपने खेत की मेड़ पर थे। जहाँ लेवलिंग हो रहा था। वहाँ, वह व उसकी पत्नी घटनास्थल पर करीब 5–6 कम की दूरी पर खड़े थे। यह कहना सही है कि उसकी पत्नी को भी कोई फायर आर्मस की चोटें

नहीं आई। घटना से पहले थाना सकीट की पुलिस उसके पास नहीं आयी थी और किसी पुलिस के द्वारा लिखी गई पुलिस मुठभेड़ में साक्षी नहीं है। घटनास्थल के आसपास किसी भी अभियुक्तगण का खेत नहीं है। यह कथन किया है कि वह अभियुक्तगणों से पहले से वैमनस्य मानता था। इसलिए उसने झूठा अभियोग लिखा दिया है। यह कहना भी गलत है कि राजनीतिक दबाव में उसे लेकर अभियुक्तगण को झूठा फंसाया हो। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगणों का जो खेत है। जिस पर वह अवैध कब्जा करने के उद्देश्य से अभियुक्तगण के खिलाफ झूठा अभियोग लिख दिया हो।

11. अभियोजन प्ख द्वारा बतौर साक्षी पी०डब्लू०–2 धीरेन्द्र सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिन्होने ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 12–06–2017 समय करीब 9:00 सुबह की है। उसी समय वह खेतों पर बकरी चरा रहा था। लक्ष्मीनारायण अपने खेत की लेबलिंग कर रहे थे, उसी समय उसके गांव के दयाराम, दफेदार, जिलेदार, राम प्रकाश, सत्यपाल व औकेश, मनोज, हीरावती, पप्पी एवं सोमवती घटनास्थल पर आए, जिनके हाथों में अवैध आयुध, लाठी डंडे थे। उपरोक्त लोग एक राय मशवरा होकर लक्ष्मी नारायण फौजी को जान से मारने की नियत से फायर कर रहे थे और ईंट पत्थर मार रहे थे। लक्ष्मी नारायण फौजी लेट गए थे, नहीं तो फायर लग जाता और उनकी मृत्यु हो जाती। यह विवाद खेत के ऊपर हुआ था। घटना के संबंध में उपनिरीक्षक ने उसका कथन लिया था।

12. बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर पी०डब्लू०–2 धीरेन्द्र सिंह ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि सत्यपाल, औकेश, मनोज और हीरावती द्वारा रामनिवास ने घटनास्थल पर खोखा व छर्रे नहीं देखे थे। शीशम के पेड़ पर कोई छर्रे के दाग नहीं थे। हीरावती ने उसके खिलाफ कोई अभियोग इस घटना से पहले नहीं लिखाया था। इस घटना से पहले दफेदार ने धारा 435 भारतीय दंड संहिता की रिपोर्ट उसके ऊपर की थी। वही दफेदार इस केस में अभियुक्त है। वह दफेदार से कोई रंजिश नहीं मानता था। उसने उपनिरीक्षक को अपना बयान दिया था। उसने अपने बयान में उपनिरीक्षक को बताया था कि किस अभियुक्त के हाथ में क्या–क्या असलहे थे। यदि उपनिरीक्षक ने उसके कथन में नहीं लिखा है तो वह इसकी वजह नहीं बता सकता। यह कथन किया है कि आज उसने जो न्यायालय में बयान दिया है, उसमें उसने यह नहीं बताया है कि किस अभियुक्तगण के हाथ में क्या–क्या असलहे थे। यह बात सही है कि लक्ष्मी नारायण को मारने के लिए सभी अभियुक्तगण लक्ष्मी नारायण की खेत पर आ गए। जिस खेत में लक्ष्मी नारायण के ट्रैक्टर से लेबलिंग करा रहे थे। जिस ट्रैक्टर से लेवलिंग हो रही थी, उसका नंबर उसे नहीं मालूम और ना ही ट्रैक्टर के ड्राइवर का नंबर उसे मालूम, ना ही नाम मालूम और ना ही ट्रैक्टर पर कोई फायर आदि के छर्रे लगे। अभियुक्तगण दो दिशाओं से लक्ष्मी नारायण के खेत पर आए थे। पूरव से दफेदार, जिलेदार और रामप्रकाश, सत्य प्रकार, हीरावती, सोमवती और पप्पी आए थे। पश्चिम से

मनोज और दयाराम आए थे। अभियुक्तगण ने, लक्ष्मी नारायण के खेत में से ही, लक्ष्मी नारायण पर फायर किए और कुछ दूसरी मेड़ पर और लक्ष्मी नारायण दूसरे मेड़ पर थे। शीशम फौजी व दरबारी लाल के खेत की मेड़ पर है। जिस समय अभियुक्तगणों ने फायरिंग की उस समय अभियुक्तगण, लक्ष्मी नारायण एक ही खेत में खड़े थे, जो खेत लक्ष्मी नारायण का था। हीरावती पर असलाह नहीं था, लाठी डंडे और पत्थर थे। लक्ष्मी नारायण के खेत में अभियुक्तगणों द्वारा जो ईंट पत्थर फेके गये थे। वह वहीं पड़े थे। घटनास्थल के आस–पास उसका कोई खेत नहीं है। वह घटनास्थल से करीब 400 मीटर की दूरी पर था। 400 मीटर की दूरी से उसने घटना देखी थी। 400 मीटर की दूरी के बीच में कोई फसल नहीं थी। घटनास्थल के एक खेत में चरी थी। उसके बाद एक खेत विशाल के खेत में मूंग खड़ी थी व घटनास्थल से नदी की तरफ उत्तर में वह 400 मीटर की दूरी पर खड़ा था और वहीं से फायरिंग होते देख रहा था और सत्यपाल उसके साथ था। अभियुक्तगण घटनास्थल पर दो–दो कर व एक–एक करके आए थे और पांच और 10 मिनट के अंतर से आए थे। घटनास्थल पर फायरिंग 15–20 मिनट तक हुई थी। समय 15:20 मिनट में 30–40 फायर हो गए होंगे। यह 30–40 फायर लक्ष्मी नारायण व लक्ष्मी नारायण की पत्नी पर हुए थे। फायरिंग के समय लक्ष्मी नारायण व उनकी पत्नी एक साथ शीशम के पेड़ की पिंडी के पीछे लेटे थे ना तो कोई फायर शीशम के पेड़ में ना लगा है और ना ही लक्ष्मी नारायण व लक्ष्मी नारायण की पत्नी के लगा। उसके ऊपर कोई फायर नहीं किया गया था। वह यह नहीं बता सकता कि किसने कितने फायर किए। दफेदार ने राइफल से फायर किए थे,पप्पी,हीरावती आदि ने कोई फायर नहीं किया था औकेश ने ईंट पत्थर फेके थे। यह बात वह अपने बयानों में उपनिरीक्षक को नहीं बताई थी। यह कथन किया है कि आज वह विद्वान अधिवक्ता के बताए अनुसार कथन दे रहा है। यह कहना भी गलत है कि वह कोई घटना ना देखा हो। यह कहना भी गलत है कि वह लक्ष्मी नारायण के कहने से बयान दे रहे हैं। घटना में उसके ऊपर कोई फायर नहीं किया गया। उसके अलावा घटनास्थल पर चरण सिंह व मुनेंद्र, लक्ष्मी नारायण की पत्नी रीता देवी मौजूद थी और राजपाल भी मौजूद थे। दफेदार ने उसके विरुद्ध रिपोर्ट कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में उसके व पारिवारीजन मुनेंद्र, रामपाल राजपाल, शिवपाल व कल्लू के विरोध सन 2015 में एक प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें इस मुकदमे में दफेदार ने उन लोगों के विरुद्ध जान से करने के आरोप नहीं लगाया था। किस बात का आरोप लगाया था यह जानकारी नहीं है। लेकिन यह जानकारी है कि उसके विरुद्ध परिवाद डाली थी। इस मामले में उसने व उसके घर वालों ने जमानत करा ली है व तारीख चल रही है। दफेदार अभियुक्त ने उसके व उसके भाई मुनेंद्र, रामपाल के विरुद्ध थाना सकीट पर आगजनी की रिपोर्ट कराई थी। यह रिपोर्ट उसके ऊपर गत्ता जलाने की वजह से हुई थी। इस मुकदमे में उसने जमानत करा ली है। इस मुकदमे में तारीख चल रही है। दफेदार ने उसके बाद उसके परिवार के खिलाफ रिपोर्ट लिखायी है।

अभियुक्तगण व उसके परिवार के मध्य 10–12 साल से मनमुटाव चल रहा है। इस मुकदमे के बाद भी लक्ष्मी नारायण से उसका कोई मनमोटाव नहीं है क्योंकि वह गांव के हैं। वह पड़ोसी भी हैं। एक अच्छे पड़ोसी की यह पहचान है कि वह पड़ोसी की मदद करें। लेकिन वह आज न्यायालय आया है। न्यायालय में आज लक्ष्मी नारायण भी मौजूद है। दफेदार उसके व उसके परिवार के खिलाफ अभियोग लिखाता है यह बात उसे बुरी लगती है। उसके बाद अभियुक्तगण के मध्य खेत का अभियोग भी एटा न्यायालय में चल रहा है। जिस खेत का विवाद न्यायालय में चल रहा है,उस पर वह काबिज है तथा उस पर उसका घर व दादी की यादगार बनी है। उसकी दादी से उसके ताऊ ने उस जमीन का बैनामा कराया था और अभियुक्त दयाराम ने ताऊ से बैनामा करा लिया था। बैनामा कराने के बाद अभियुक्तगणों ने उस पर कब्जा कर लिया था। उसकी वजह से अभियुक्तगणों से यही लड़ाई थी। लक्ष्मी नारायण ने इस मुकदमे में बतौर साक्षी उसका नाम उसे बिना पूछे लिख दिया था। यह बात उसे थाने वालों ने बताई थी, वहाँ पूछताछ की गई थी तथा पूछताछ पर हस्ताक्षर कराए गए थे। यह पूछताछ उपनिरीक्षक ने की थी। यह पूछताछ घटना की 13–14 दिन बाद थाने पर की थी। घटनास्थल पर वह पहले से बकरियां चरा रहा था। उसके पास 15–16 बकरियां थी व 50–60 बकरियां राजपाल की थी, कुल 70 बकरियां थी। अभियुक्तगणों ने फायर किया। लेकिन कोई फायर बकरियों के नहीं लगी। बकरियां 400–500 मीटर की दूरी पर थी। वहां तक आवाज नहीं पहुंची इसलिए वहाँ बकरिया तीतर–बीतर नहीं हुई। अभियुक्तगणों ने राइफल चलाई थी। राइफल की मार कितनी होती है उसे नहीं मालूम। बकरियां वहीं चुग रही थी। उपनिरीक्षक को उसने बकरियों के चुगने व उसके बैठने वाला स्थान नहीं बताया था। लेकिन बकरियों की चुगने की बात बताई थी। घटना के तुरंत बाद पुलिस की तीन गाड़ियां आई थी। पुलिस के आने का समय सुबह 9:00 का था। लक्ष्मी नारायण घटना होने से लेकर पुलिस आने तक वहीं खड़ा रहा। जब पुलिस की जीपे आई, तब लक्ष्मी नारायण उनमें शामिल हो गया था। घटना होने के बाद पुलिस ने लक्ष्मी नारायण को गाड़ी में प्यार से बिठाया था या धक्के से बिठाया उसे नहीं मालूम। लक्ष्मी नारायण रिटायर्ड फौजी हैं। अभियुक्तगण के गांव में दबदबा है। उसे भी अभियुक्तगणों से डर लगता है। यह कथन किया है कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं हो। यह कहना भी गलत है कि ऐसी कोई घटना ना हुई हो। यह कहना भी गलत है कि उसका अभियुक्तगणों से मुकदमे की रंजिश होने की वजह से झूठी साक्ष्य दे रहा है।

13. अभियोजन पक्ष द्वारा बतौर पी०डब्लू०–3 चरन सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिन्होनें अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना 12 जून की है, सन का ध्यान नहीं है। लगभग 04 साल पहले सुबह 9:00 बजे की बात है। वह अपने घर पर था तभी उसने फायर की आवाज सुनी तो वह फायर की आवाज सुनकर फौजी लक्ष्मी नारायण के खेत पर पहुंचा,तो देखा कि दयाराम, दफेदार फायर कर रहे थे। उनके हाथ में राइफल थी, दफेदार

के हाथ में राइफल थी और मनोज के हाथ में राइफल थी। अन्य के हाथ में लाठी डंडे थे। जिलेदार, औकेश, सत्यपाल, सोमवती, हीरावती और पप्पी के हाथ में लाठी डंडे थे। लाठी डंडों से लक्ष्मी नारायण की मारपीट कर रहे थे। लक्ष्मी नारायण शीशम के पेड़ के नीचे छिपे थे। घटनास्थल पर पुलिस आ गई थी और सभी अभियुक्तगण पुलिस को देखकर भाग गए थे। उसे धमकी दी गई है कि बयान देने जाएगा तो जान से खत्म कर देंगे। पुलिस द्वारा घटना के संबंध में उसका कथन लिया गया था।

14. बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर पी०डब्लू०–3 चरन सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि जान से मारने वाली बात उपनिरीक्षक को उसने नहीं बताई थी। जान से मारने वाली बात उसे गांव वालों ने बताई थी। धमकी वाली बात गांव वालों के बताने पर उसे मालूम पड़ी थी। यह बात सही है कि इस केस के वादी उसके सगे चाचा हैं। यह बात सही है कि जब फायरिंग हुई तब वह अपने घर पर मौजूद था। फायर की आवाज सुनकर खेतों पर गया। जब उसने फायर की आवाज सुनी, तब वह अपने घर पर था। उसके घर से घटनास्थल डेढ़ सौ मीटर दूर है। उसके घर से घटनास्थल दिखाई देता है। पहले फायर हुआ, तब वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। दूसरे फायर पर पहुंच गया था। घटनास्थल पर वह 2 मिनट में पहुंच गया था। उसे दिशाओं का ज्ञान नहीं है। सूरज निकलता है वह दिशा नहीं मालूम। किस दिशा से निकलता है। पूरब पश्चिम जानता है। उत्तर–दक्षिण नहीं जानता है। उसके सामने अभियुक्तगण लाठी–डंडों से मारपीट कर रहे थे। चाचा के कितने लाठी लगे थे, गिनती नहीं बता सकता है। उसके चाचा के शरीर पर लाठी–डंडों की काफी छोटें थी। उसके चाचा के चोटें पीठ पर, हाथ, पैर, और जोड़ों पर और सर पर भी थी। चाचा के फायर की कोई चोट नहीं थी। मौके पर खोखा छर्रा उसकी मौजूदगी में उठाए थे। घटनास्थल पर पुलिस करीब आधा घंटा रुकी रही थी। मूल फर्द बरामदगी पर चाचा के दस्तखत कर आए थे। अभियुक्तगण चाचा के खेत पर खड़े हुए थे। चाचा के खेत से ही चाचा पर फायर किए थे। 100 मीटर की दूरी से अभियुक्तगणों ने चाचा पर फायर किए थे। अभियुक्तगणों ने ईंट पत्थर 7–8 मीटर की दूरी से फेक थे। राम प्रकाश, सत्यपाल, केश और हीरावती पर मौके पर कोई देशी पिस्तौल व राइफल नहीं थी मात्र लाठी डंडे थे। दूसरा जो फायर हुआ था वह कृपाल के खेत से हुआ था। दो फायर के बाद अन्य कोई फायर अभियुक्तगणों के द्वारा नहीं किया गया था। जिस ट्रैक्टर से लेवलिंग हो रही थी उसका नंबर उसे नहीं मालूम नही ना उसका नाम उसे मालूम है। हीरावती पर 10 फुट का बांस था, मनोज पर राइफल थी, सत्यपाल पर 7–8 फुट की लाठी थी व राम प्रकाश पर भी लाठी थी। सब लोग मार रहे थे, कोई ईंट पत्थर मार रहा था, कोई लाठी मार रहा था। यह वह क्लियर नहीं बता सकता कि उसके चाचा के शरीर पर किसकी लाठी लगी। इस घटना से पहले हीरावती ने अपनी मारपीट का उसके खिलाफ अभियोग किया था जिसमें वह अभियुक्तगण है। यह कथन किया है कि उसने कोई घटना न देखी हों और वह झूठी गवाही

दे रहा है। यह कहना भी गलत है कि हीरावती के केस में वह अभियुक्त है। इस रजिश की वजह से वह बयान दे रहा है। यह कहना भी गलत है कि वह लक्ष्मी नारायण के दबाव में उसके सगे भतीजे होने के वजह से बयान दे रहा है। अभियुक्त दफेदार के पिता का नाम दयाराम है। इस केस में वह अभियुक्त हैं। अभियुक्त दफेदार अभियुक्त जिलेदार का सगा भाई है। अभियुक्त पप्पी, दफेदार की सगी बहन है और अभियुक्तगण सोमवती, दफेदार की सगी मां है। वह सब इस केस में नामजद है। इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति दफेदार के परिवार में नहीं है। उसके पिता रामेश्वर और इस मुकदमे के वादी लक्ष्मी नारायण के पिता मनोहर सिंह सगे भाई हैं। इस तहर वादी लक्ष्मी नारायण उसके सगे चाचा हैं। वादी की पत्नी रीता देवी घटना वाले दिन मौके पर नहीं थी बाद में पहुंची। तब तक घटना हो चुकी थीं। जब वह पहुंची तब तक पुलिस आ चुकी थी। जब पुलिस आई थी, तब वादी मौजूद था। अभियुक्तगण पुलिस को देखकर भाग चुके थे। उसके गांव से थाना तीन या चार किलोमीटर की दूरी पर है। घटना होने के 15 या 20 मिनट बाद पुलिस आ गई थी। उसे पुलिस की आने वाली तीनों गाड़ियों के नंबर याद नहीं है। उसने पैरों की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचा था, इसलिए यह नहीं बता सकता कि अभियुक्तगण एक साथ आये या अलग–अलग आये। घटनास्थल के आसपास के खेतों में घटना के समय नहीं थी। उसने उपनिरीक्षक को वह जगह दिखाई थी, जहां से उसने घटना देखी थी। अगर उपनिरीक्षक ने उसकी वह जगह नहीं बताई तो वह उसकी वह वजह नहीं बता सकता। उपनिरीक्षक ने घटना वाले दिन ही घटना स्थल पर उसके बयान लिए थे। फिर उपनिरीक्षक ने दो–चार दिन बाद थाने पर बुलाया था। उस दिन थाने पर अकेला गया था। उपनिरीक्षक से उसने कहा कि उसके कथन लिखो वह मौके पर था। तब उसने कथन दिया। उपनिरीक्षक ने वहां उसे बता दिया था कि न्यायालय में भी बयान देने हैं। क्या कथन देने हैं जो उसने देखा था वही बताया। अभियुक्त दफेदार से उसकी मुकदमे बाजी चल रही है। अभियुक्त दफेदार की भाभी हीरावती ने उसके, राज्यपाल व धीरेंद्र, मुनेंद्र के खिलाफ धारा 156(3) दं०प्र०स० का अभियोग डाला है। पुलिस मौके से लक्ष्मी नारायण को मौके से साथ ले गई थी। दूसरे पक्ष के लोग मौके से भाग गए थे। वह थाने 15–20 मिनट में पहुंच गए थे। उपनिरीक्षक ने लक्ष्मी नारायण से कहा की जांच कर फिर रिपोर्ट दर्ज करेंगे। उसके सामने लक्ष्मी नारायण यह परिचय नहीं दिया था कि वह फौजी हैं। प्रपत्र पर हस्ताक्षर कराए या नहीं काराये उसे नहीं मालूम। यह कथन किया है कि उसने कोई घटना ना देखी हो। यह कहना गलत है कि वादी उसके सगे चाचा है। इसलिए वह गलत बयानी कर रहा है। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण से उसकी रजिश चल रही है। इस कारण वह झूठी गवाही दे रहा है।

15. अभियोजन पक्ष द्वारा बतौर साक्षी पी०डब्लू०–4 मुनेन्द्र कुमार को परीक्षित कराया गया है जिन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 12–06–2017 समय लगभग 9:00 की बात है। उस समय वह अपने खेत से वापस घर आ रहा था। वह लक्ष्मी

नारायण के खेत के पास आया। लक्ष्मी नारायण अपने खेत की लेबलिंग ट्रैक्टर से कर रहे थे। इस समय दयाराम पुत्र बाबूराम, दफेदार पुत्र दयाराम, जिलेदार पुत्र दयाराम, राम प्रकाश पुत्र मौजी राम, सत्यपाल पुत्र मौजी राम, औकेश पुत्र मौजीराम, मनोज पुत्र मौजीराम, हीरावती पत्नी सत्यपाल, पप्पी पुत्री दयाराम, दफेदार के हाथ में अवैध राइफल, दयाराम के हाथ में लाठी व मनोज के हाथ में राइफल कुछ लोगों पर देशी तमंचा लाडी डंडे थे। लक्ष्मी नारायण पर दफेदार ने सबसे पहले फायर किया। फिर मनोज ने लक्ष्मी नारायण पर फायर किया। लक्ष्मी नारायण फायर होते ही खेत में गिर गए। जिन्होंने शीशम के पेड़ की आड़ व उसके बाद तालाब के किनारे आड़ ली। मौके पर उसके अलावा फायर की आवाज सुनकर गांव के अन्य लोग आ गए थे। जिन्होंने ने लक्ष्मी नारायण को बचाया। तब उपरोक्त लोग लक्ष्मी नारायण को गाली गलौज कर रहे थे। उसी समय पुलिस की तीन गाड़ियां वहां आ गई थी। पुलिस वालों ने उक्त लोगों का पीछा किया किंतु उपरोक्त लोग भागने में सफल रहे। उसका बयान घटना के सम्बंध में उपनिरीक्षक ने लिया था।

16. बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर पी०डब्लू०-4 मुनेन्द्र कुमार ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि लक्ष्मी नारायण अभी न्यायालय में बैठे हुए हैं। लक्ष्मी नारायण ने अपनी रिपोर्ट में साक्षी में उसका नाम नहीं लिखाया। धीरेंद्र पुत्र नाहर सिंह उसके सगे भाई हैं, और यही उसके भाई धीरेंद्र सिंह आज से पहले इस केस में बयान दे चुके हैं। इस केस की अभियुक्ता श्रीमती हीरावती को वह जानता है। इन्ही हीरावती ने उनके खिलाफ रिपोर्ट की थी। बाद में उस रिपोर्ट में वह अभियुक्त था। लक्ष्मी नारायण जिस खेत में जिस ट्रैक्टर से लेवलिंग करा रहे थे। उसका नंबर उसे ध्यान नहीं है, और चालक का भी नाम ध्यान नहीं है। घटनास्थल पर कोई खोखा कारतूस उसे नहीं किया था, और ना ही फायर का कोई भी निशान घटनास्थल पर फायर का निशान दिखाई दिया था। घटनास्थल से उसका घर लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। उपनिरीक्षक ने उसका बयान लिया था, कब लिया उसे ध्यान नहीं है। यह बात उसने उपनिरीक्षक को बताई थी कि किसके हाथ में क्या-क्या था, यदि उपनिरीक्षक ने नहीं लिखा है, तो वह इसकी वजह नहीं बता सकता। जहां घटना हुई थी, उसके पश्चिम की तरफ अभियुक्तगण खड़े थे। लक्ष्मी नारायण के पास खेत पर लक्ष्मी नारायण के अलावा अन्य कोई मौजूद नहीं था। लक्ष्मी नारायण और अभियुक्तगण के बीच में शीशम का पेड़ खड़ा हुआ था। शीशम के पेड़ की मोटाई डेढ़, 2 फुट थी। जिस जगह अभियुक्तगण खड़े थे, ना कोई फसल थी, न कोई पेड़ था। खाली जगह में खड़े थे। किसी भी महिला के पास हासिया नहीं था, लाठी डंडे थे। अभियुक्तगण, रामचंद्र के खेत में खड़े हुए थे। अभियुक्तगण लक्ष्मी नारायण से करीब 50-60 मीटर की दूरी पर थे। फायर की आवाज उसने अपने घर पर नहीं सुनी थी। फायर की आवाज उसने रास्ते में सुनी थी। लक्ष्मी नारायण के खेत पर कोई अभियुक्तगण नहीं मिले, बल्कि खेत से दूर थे। जब फायर की आवाज हुई। तब वह अभियुक्तगणों से 100 मीटर की दूरी पर था। वह फायर के समय

लक्ष्मी नारायण से 40–50 मीटर की दूरी पर था। यह कहना सही है कि फायर करने वालों को उसने 100 मीटर की दूरी से देखा था। जब फायर हुआ था तब अभियुक्तगण फसल में खड़े थे। उसे दिशाओं का कोई ज्ञान नहीं है। सूरज निकलता है वह देखता है। वह इधर से निकलता है। न्यायालय की खिड़की की तरफ इशारा करके कहा कि वह हाई स्कूल फेल है। तो वह हाई स्कूल तक विद्यालय में जाकर पड़ा। उसके बाद उसने नौकरी भी की है। नौकरी उसने गुड़गांव में की है। जब जाते हैं तो पूछ लेते हैं कि बस पूरब–पश्चिम–उत्तर जाएगी। उसने कहा 1 से 10 तक की कक्षा में भी पढ़ा है, किंतु उसे ध्यान नहीं है। उसे जानकारी नहीं है कि उसके पीठ पीछे गंगाई है। जहां अभियुक्तगण खड़े थे, वहां से पश्चिम में रामचंद्र का खेत है। पूरव में लक्ष्मी नारायण का खेत है और उत्तर में रामेश्वर और दक्षिण में तालाब है। जहाँ लक्ष्मी नारायण खड़े थे, वहां से पूरव दिशा में खेत दरबारी का है, और पश्चिम में रामचंद्र, उत्तर में रामेश्वर तथा दक्षिण में तालाब है। अभियुक्तगण सत्यपाल, मनोज, औकेश, रामप्रकाश का खेत है और बीच में नदी है। उसके बाद लक्ष्मी नारायण का खेत है। खेत के पीछे लक्ष्मी नारायण व अभियुक्तगण का वाद विवाद हुआ था। अभियुक्तगण से कहा सुनी हुआ था। सूरजपाल के केस में वह साक्षी था। सत्यपाल सिंह, लक्ष्मी नारायण के पारिवारी नहीं है। जिन महिलाओं के नाम उसने लिए हैं उनमें से किसी ने फायर नहीं किया। हीरावती के पति सत्यपाल व देवर मनोज, राम प्रकाश आदि ने उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। हीरावती का अभियोग उसके खिलाफ न्यायालय में चल रहा है। हीरावती के देवर का अभियोग उसके खिलाफ न्यायालय में विचाराधीन है अथवा नहीं उसे जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि उसने कोई घटना न देखी हो। यह कहना भी गलत है कि उसने लक्ष्मी नारायण के प्रभाव में आकर झूठी साक्ष्य दे रहा हो। इस घटना से पहले अभियुक्त दफेदार ने उसके अलावा उसके भाई धीरेंद्र और उसके चाचा रामपाल के विरुद्ध गल्ला जलाने का अभियोग लिखाया था। यह अभियोग विचारधीन है। इस मुकदमे में उन लोगों द्वारा बेल कर ली है। इस घटना से पहले उसके गांव के राम प्रकाश पुत्र अजब सिंह ने अभियुक्त दफेदार, दयाराम, जिलेदार व मनोज के विरुद्ध मारपीट का अभियोग थाना सकीट पर दर्ज कराया था। जिसमें वह साक्षी है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि अभियोग चल रहा है या छूट गया। उसकी मां का नाम बादामश्री है और उसके सगे भाई–बहन धीरेंद्र व प्रीति हैं। उसने व उसके पारिवारीजन ने इस घटना से पहले अभियुक्त दयाराम व अन्य लोगों के विरुद्ध गाटा संख्या 167 व 166 की बाबत दीवानी में अभियोग डाला था जो विचाराधीन है, के अभियोग इस लिए डाला था क्योंकि अभियुक्तगण दयाराम व उसके परिवार वालों ने छल कपट कर एवं पहले फैसला कर उसकी दादी का बैनामा जमीन का अपने नाम कर लिया था। यह बैनामा दादी की मृत्यु से एक साल पहले कराया था। जब उसने दीवानी का दवा डाला था, तब दादी जिंदा थी। लेकिन उसने अपनी दादी का नाम दावे में नहीं लिखाया था। उसकी दादी से अभियुक्तगण ने जो धोखाधाड़ी बैनामा कर लिया

था, यह बात उसे बुरी लगी। अभियुक्त दयाराम से उसने दीवानी का दवा डालने से पहले कई बार मौखिक रूप से कहा कि उसकी जमीन उसे वापिस करो। लेकिन अभियुक्तगण नहीं माने। अभियुक्त दयाराम के दो लड़के हैं जिनके नाम जिलेदार व दफेदार हैं। अभियुक्तगण राम प्रकाश, सत्यपाल, औकेश व मनोज, मौजी राम के लड़के हैं और अभियुक्त हीरावती, सत्यपाल की पत्नी हैं और अभियुक्तगण सोमवती, अभियुक्त दयाराम की पत्नी व अभियुक्तगण पप्पी, दयाराम की पुत्री हैं। अभियुक्तगण वादी लक्ष्मी नारायण के मध्य नहर के पानी को लेकर कोई विवाद नहीं है। दोनों के मध्य मेड़ तोड़कर पानी लेने का भी कोई विवाद नहीं है। वादी व अभियुक्तगण के खेतों के मध्य एक सूखी नहर है। यह नहर 10 मीटर चौड़ी है। अभियुक्तगण नदी के किनारे तोड़कर नदी के अंदर घुस गए थे और पूरी नदी को अपने खेत में मिला लिया था। उसने उन्हें नदी में अतिक्रमण करने से नहीं रोका। पूरे गांव ने उसे नदी को अपने खेतों में मिल लिया है। लेखपाल व अन्य सरकारी लोगों ने इस नदी पर हुए अतिक्रमण पर कोई संज्ञान नहीं लिया। वादी लक्ष्मी नारायण ने मौखिक व लिखित रूप से उच्च अधिकारियों को नदी पर हुए अतिक्रमण के बावत शिकायत की थी। जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तब अभियुक्तगण दौड़कर आ रहे थे। अभियुक्तगण अलग–अलग दिशाओं से आए थे। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि कौन सा अभियुक्तगण किस दिशा से आए थे। अभियुक्तगण 4–5 सेकंड के अंतराल में आए थे। अभियुक्त दयाराम के हाथ में लाठी, दफेदार के हाथ में राइफल व जिलेदार के हाथ में राइफल, राम प्रकाश के हाथ में कटटा, सत्यपाल के हाथ में कटटा, औकेश के हाथ में लाठी व मनोज के हाथ में कटटा, बाकी अभियुक्तगण हीरावती सोमवती के हाथ में लाठी थी। किसी भी अभियुक्तगण के हाथ में बांस नहीं थे। उसने 10–12 फुट लंबे बांस किसी के हाथों में नहीं देखा। लाठी डंडों की लंबाई 2–5 फुट रही होगी। इन लाठी डंडे वालों ने वादी लक्ष्मी नारायण की लाठी डंडों से मारपीट की थी। लाठी–डंडों से लक्ष्मी नारायण को चार–पांच वार करके मारा था। लक्ष्मी नारायण की पीठ पर लाठी के निशान छप गए थे। मारपीट में लक्ष्मी नारायण की पत्नी के भी चोटें आई थी। जिन अभियुक्तगणों पर तमंचे थे, उन लोगों ने ताबड़तोड़ फायर किए गए थे। वह अंदाज से भी नहीं बता सकता है कि कितने फायर हुए। वह छुपा नहीं था दूर से घटना देख रहा था। अभियुक्तगण पर कौन–कौन से बोर था, वह नहीं बता सकता। उसे यह जानकारी नहीं है कि अभियुक्तगण खाली खोखा लेकर गए या छोड़ गए थे। अनगिनत फायर होने के बाद भी एक भी छर्रे लक्ष्मी नारायण को नहीं लगा। लेकिन कई फायर पेड़ पर लगे। उपनिरीक्षक ने पेड़ पर लगे फायर देखे थे। उपनिरीक्षक ने उससे नहीं पूछा कि अभियुक्तगण ने कहा फायर किए और कहां लगे। घटना के समय आस–पास के खेतों में कोई फसल नहीं थी। साफ मैदान था। घटना होने के बाद उसने उपनिरीक्षक को घटना से संबंधित कोई शपथ पत्र नहीं दिया था। अगर विवेचना में उसका शपथ पत्र विवेचना में लगा दिया है तो वह इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। पत्रावली में संलग्न

शपथ पत्र संख्या 10अ/10 लगायत 10अ/11 पर उसका फोटो लगा है लेकिन यह शपथ पत्र उसने नहीं दिया। पुलिस घटना के समय पर ही आ गई थी और उन्होंने अभियुक्तगणों को रौंदा था। वादी लक्ष्मी नारायण वहीं खड़ा रहा था। यदि लक्ष्मी नारायण न्यायालय में जहां बयान देता है कि वह पुलिस देखकर मौके से भाग गया था तो वह गलत बयान देता है। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी नारायण को घटना होने के बाद पुलिस ने घर से बुलाया हो। पुलिस लक्ष्मी नरायण को लेकर थाने गयी, उसके साथ उसकी पत्नी गयी थी या नहीं उसे नहीं मालूम। उसके बाद अपने घर चला गया था। इस घटना के 5–6 दिन बाद उसे उपनिरीक्षक ने थाने पर बुलाया था और उसका बयान लिखा था और उसे यह नहीं मालूम कि उसके हस्ताक्षर कराये थे या नहीं। वह अंदाज से भी नहीं बता सकता कि घटना वाले दिन पुलिस कितनी बजे मौजूद थी। लेकिन वह यह बता सकता है कि घटना 09:00 या 09:30 बजे की थी, लेकिन घटना के समय पुलिस मौजूद नहीं थी। साक्षी धीरेन्द्र उसका भाई है और चरन सिंह व राजपाल उसके गांव के हैं। जहाँ से उसने घटना देखी थी वह स्थान उसने उपनिरीक्षक को बता दिया था। यह कहना गलत है कि उसकी अभियुक्तगण से पुरानी रंजिश व मुकदमा बाजी है। इस लिए वह गलत बयानी कर रहा है। यह कहना गलत है कि इस प्रकार की कोई घटना ना हुई हो। यह कहना गलत है कि वह मौके पर मौजूद न हो। यह कहना गलत है कि दयाराम व उसके परिवारीजन से वह व उसकी पारिवारीजन मुकदमे बाजी की रंजिश को लेकर वह फर्जी साक्षी बनने को हमेशा तैयार रहता है। यह कहना गलत है कि हाजिर अदालत वादी लक्ष्मी नारायण उसे आज न्यायालय लेकर आया है।

17. अभियोजन पक्ष द्वारा बतौर साक्षी पी०डब्लू०–5 राजपाल को परीक्षित कराया गया है, जिसमें उन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना करीब साढ़े पाँच साल पहले समय करीब 9:00 की है। वह तालाब के किनारे अपनी बकरियों को चरा रहा था, तभी फायरिंग की आवाज पर वह लक्ष्मी नारायण की खेत के पास आया तो देखा कि लक्ष्मी नारायण के ऊपर दयाराम, दफेदार, जिलेदार, राम प्रकाश, सत्यपाल, औकेश, मनोज अपने–अपने हाथों में लाठी डंडा लिए थे और दफेदार के हाथ में अवैध राइफल व दयाराम के हाथ में लाठी व मनोज के हाथ में राइफल व कुछ लोगों के हाथों में लाठी डंडा वह देशी तमंचा आदि थे। दयाराम व दफेदार ने सबसे पहले लक्ष्मी नारायण पर फायर किया था फिर मनोज ने फायर किया था। लक्ष्मी नारायण शीशम के पेड़ की आड़ में अपने आप को बचाया था। उसके बाद तालाब के किनारे की आड़ ली। मौके पर उसके अलावा फायर की आवाज सुनकर गांव के अन्य कई लोग पहुंच गए थे। तभी उपरोक्त लोग गाली गलौज करते हुए वहां से भाग गए और यह कहते हुए जा रहे थे कि साला खेत नपवाने के पीछे पड़ा उनके खेत में से खेत लेना चाहते हैं। इस बार बच गया है अगली बार जिंदा नहीं छोड़ेंगे।

18. बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर पी०डब्लू०–5 राजपाल ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसने मौके पर ना कोई छर्रा देखा था और ना कोई खोखा देखा था। घटना स्थल के खेत की मेड़ पर तलाब है। तालाब चार बीघा का है। फायरों की आवाज सुनकर वह मौके पर आ गया था। फायर फौजी को नहीं लगा। क्योंकि वह शीशम की आड़ में हो गये थे। उसे नहीं मालूम कि शीशम के पेड़ पर कोई छर्रे का निशान है या नहीं उसने शीशम के पेड़ पर कोई छर्रे का निशान नहीं देखा था, क्योंकि वहां पर भगदड़ मची थी। भगदड़ मचाने वालों में डब्लू, चरण सिंह, धीरेंद्र, फौजी की बहू, धेवती व गांव के बहुत से लोग आ गए थे। फौजी की पत्नी एवं धेवती घटनास्थल पर पहले से मौजूद थी। कुल छः फायर हुए थे जो फौजी की पत्नी व धेवती पर हुए थे। फिर भी छः फायरों में से कोई भी चोट लक्ष्मी नारायण की पत्नी व धेवती के नहीं आई थी। सभी अभियुक्तगणों ने फौजी के खेत में से फायर किए थे। वह लक्ष्मी नारायण के खेत के पास में तालाब के किनारे खड़ा हुआ था। उसके पास कोई और नहीं खड़ा था। घटनास्थल पर उसके साथ अन्य और कोई नहीं मिला था। वह अकेले आया था। अभियुक्तगणों ने जहां से लक्ष्मी नारायण के ऊपर फायर किए थे, उसकी दूरी तीन या चार हाथ होगी। तीन–चार कदम के बीच में बराह था तथा बीच में चरी खड़ी थी। बीच में चार फीट की चरी थी। फायर चरी में लगे थे। चार फुट की चरी के ऊपर से फायर हुआ था। जिस ट्रैक्टर से लक्ष्मी नारायण लेवलिंग कर रहे थे, उसका नंबर, किसका ट्रैक्टर था, किस आदमी का था, वह नहीं जानता। उसे यह नहीं मालूम कि ट्रैक्टर पर कौन ड्राइवर था, ट्रैक्टर दूर था। घटना स्थल से हटकर खड़ा था। उससे 15 हाथ की दूरी पर ट्रैक्टर खड़ा था। लक्ष्मी नारायण से भी ट्रैक्टर 15 हाथ दूर खड़ा था। ट्रैक्टर चल रहा था। उस समय अभियुक्तगण ने फायरिंग की थी। जब ट्रैक्टर चल रहा था तब उस पर लक्ष्मी नारायण नहीं बैठे थे। उसने उपनिरीक्षक को अपने बयान में यह बताया था कि राइफल से दफेदार, मनोज, दयाराम ने फायर किए थे। अगर उपनिरीक्षक ने यह बात उसके कथन में नहीं लिखी है तो वह इसकी वजह नहीं बता सकता। उसने कोई शपथ पत्र इस केस के बाबत नहीं दिया था। हीरावती व औकेश ने लक्ष्मी नारायण पर कोई फायर नहीं किया था। उनके पास लाठी डंडा था। लाठी–डंडों की चोट ना तो उसे आयी ना लक्ष्मी नारायण को आई थी। हीरावती ने उसके खिलाफ मारपीट की थाने में रिपोर्ट लिखी थी। हीरावती की मारपीट के केस में उसने जमानत कराई है। मुनेंद्र कुमार उसका सगा भाई नहीं है। मुनेन्द्र, नाहर सिंह का लड़का है। मुनेन्द्र कुमार व धीरेन्द्र दोनों सगे भाई हैं। मुनेन्द्र व धीरेन्द्र इस केस में साक्षी है। यह कहना गलत है कि उसने कोई घटना ना देखी हो। लक्ष्मी नरायण के दबाव में साक्ष्य दे रहा है। यह भी कहना गलत है कि उसने लक्ष्मी नरायण से आर्थिक लाभ ले लिया हो। इस लिए झूठी साक्ष्य दे रहा है। उसकी पहली पत्नी का नाम रानी है। उसका कत्ल हुआ या नहीं उसको नहीं मालूम। उसने रानी के कत्ल का अभियोग दफेदार के विरूद्ध नहीं लिखाया था। उसकी पत्नी रानी के कत्ल के मुकदमे में उपनिरीक्षक

ने दफेदार को हटाकर उसे अभियुक्त बनाया था। उपनिरीक्षक ने यह कहा था कि उसने रानी का मर्डर किया है। रानी के कत्ल के मुकदमे में वह 06 माह जेल में भी रहा था। दफेदार का नाम निकालकर उपनिरीक्षक ने उसका नाम अभियुक्त में रख दिया था। यह बात उसे बुरी लगी थी, उसका व दफेदार के परिवार का आना–जाना है। यह आना–जाना रानी के कत्ल की मुकदमे से पहले भी था। दफेदार ने धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता में उसके खिलाफ अभियोग दिखाया था, जिसमें उसने जमानत करा ली है। उस मुकदमे में उसके अलावा मुनेंद्र, धीरेंद्र व कल्लू, पप्पू व रामपाल कुल 6 लोग थे। उसमें उन सब ने जमानत करा ली थी। धीरेंद्र और मुनेंद्र उसके भतीजे हैं। उसके भतीजों के खिलाफ फसल जलाने का अभियोग अभियुक्त दावेदार ने किया था। जो न्यायालय में चल रहा है। मुनेंद्र व धीरेंद्र उसके भतीजे व चरण सिंह गांव के हैं। उनके खिलाफ हीरावती ने उसे नामित कर इन तीनों के विरुद्ध अभियोग लिखाया था। हीरावती उसके भाई की बहू है। अभियुक्त दयाराम के दो लड़के क्रमशः अभियुक्त जिलेदार व दफेदार हैं। अभियुक्त दयाराम की पत्नी अभियुक्त सोमवती है, और अभियुक्त दयाराम की बेटी अभियुक्ता पप्पी है। अभियुक्त दयाराम के परिवार में यह पांच ही लोग हैं। अभियुक्त मौजीराम के चार लड़के हैं। जो क्रमशः राम प्रकाश, सत्यपाल, औकेश, मनोज हैं। इसके अलावा मौजीराम के परिवार में कोई लड़का नहीं है। अभियुक्तगण हीरावती वही हैं। जिन्होंने उसके व धीरेंद्र के खिलाफ मारपीट का अभियोग डाला है। वह घटना वाले दिन घटनास्थल पर सुबह 9:00 बजे पहुंच गया था। उसके पास करीब 60 बकरियां थी ,वह उन 60 बकरियों को अकेले चरा रहा था। यह बकरियां कप्तान सिंह के खेत में चुग रही थी। कप्तान का खेत बंजर था। उसमें कोई फसल नहीं थी। अभियुक्तगणों को उसने अपनी आंखों से आते हुए देखा था। सूरज निकलने वाली दिशा से अभियुक्तगण नहीं आए थे। सूरज डूबने वाली तरफ से भी नहीं आए थे। अभियुक्तगण गंगाई वाली तरफ से भी नहीं आए थे। अभियुक्तगण अपने घरों की तरफ से आए थे। अभियुक्तगणों का घर पास–पास है। वह घटनास्थल से अभियुक्तगणों के घर की दूरी नहीं बता सकता। जबकि अभियुक्तगण व उसका गांव एक ही है। वह कदम से भी दूरी नहीं बता सकता। वह अभियुक्तगणों के साथ–साथ नहीं आया था। वह वहीं पर बकरियां चरा रहा था। फिर कहा कि उसने अभियुक्तगणों को घर से निकलते देखा था। पूरी घटना में कितनी देर लगी, उसे नहीं मालूम अंदाज से भी समय नहीं बता सकता। उसने देशी तमंचे देखे हैं। वह बोर के बारे में नहीं जानता। उसने यह देखा था कि अभियुक्तगण के हाथ में क्या हथियार था। उपनिरीक्षक को उसने वह जगह दिखाई थी। जहां से उसने घटना होते देखी थी। घटना के कितने दिनों बाद उसने उपनिरीक्षक को यह जगह दिखाई थी याद नहीं है। अगर उपनिरीक्षक ने उसकी बताई जगह साक्ष्य में नहीं दिखाई है तो वह इसकी वजह नहीं बता सकता। उपनिरीक्षक ने घटना के बारे में उससे पूछताछ की थी। उपनिरीक्षक ने यह पूछताछ घटना वाले दिन की थी या नहीं उसे नहीं मालूम। यह पूछताछ उसे थाने पर

बुलाकर की थी। उससे सिर्फ एक बार पूछताछ थाने में ही की गई थी। पूछताछ पर उसकी निशानी अंगूठा उपनिरीक्षक ने लिया था। उसकी दफेदार से समझौता की बात नहीं चली थी, फिर कहा कि चली थी और एक मुकदमे में फैसला भी हो गया था। दयाराम व हीरावती के हाथ में लाठी थी, इसके अलावा किसी के हाथ में लाठी नहीं थी। लाठी लगभग 6 फुट लंबी थी। दफेदार के हाथ में राइफल थी। एक मीटर लंबी थी गैर लाइसेंसी थी। वह राइफल पुलिस ने बरामद नहीं की थी। मनोज के हाथ में भी एक मीटर लंबी राइफल थी। दोनों के हाथों में 315 बोर की राइफल थी। वह 315 बोर व 12 बोर में अंतर जानता है। 315 बोर का छर्रा बड़ा होता है। उनके कारतूस भी उसने देखे हैं। घटना में 315 बोर के छर्रे कहीं नहीं लगे, सारे हवा में उड़ गए। क्योंकि फायर ऊंचा करके हुआ था, उन लोगों ने काफी तलाशा, लेकिन छर्रे नहीं मिले थे। शीशम के पेड़ में भी छर्रे नहीं मिले। उपनिरीक्षक ने भी तलाशा, उन्हें भी नहीं मिला। उसे नहीं मालूम कि उपनिरीक्षक ने यह बात कही या नहीं कि छर्रा तो मिला नहीं तो धारा 307 भा०द०स० कैसे लगा दे। लेकिन उसे जानकारी है कि लक्ष्मी नारायण को यह जानकारी थी या नहीं की बिना छर्रे के धारा 307 भा०द०स० बन जाती है या नहीं। लक्ष्मी नारायण फौज में रहे थे। लक्ष्मी नारायण पढ़े लिखे हैं तो विधि का ज्ञान भी रखते होंगे। वादी लक्ष्मी नारायण पीछे कुर्सी पर बैठे हैं। इसके अलावा आज उनका और कोई अभियोग नहीं है। पूरी घटना में उसके ऊपर कोई फायर नहीं चला था जबकि उसकी रंजिशन दफेदार से पहले से चल रही है। यह कहना गलत है कि वह घटना वाले दिन वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। यह कहना गलत है कि चूंकि उसकी अभियुक्तगण दयाराम के परिवार से रंजिश हो। इसलिए फौजी लक्ष्मी नारायण से मिलकर उसने यह अभियोग रंजिश के कारण झूठा लिखवाया हो। यह कहना गलत है कि ऐसी कोई घटना घटित ना हुई हो। यह कहना गलत है कि फौजी अपना क्षेत्र में आतंक कायम करना चाहते हों। इसलिए क्षेत्र में दबदबा बनाए रखने के लिए दयाराम और उसके परिवारीजनों पर झूठा अभियोग लिखाया हो। पूरी घटना में बकरियों के कोई छर्रे नहीं लगा था। यह कहना गलत है कि वह झूठी गवाही दे रहा है।

19. अभियोजन पक्ष द्वारा बतौर साक्षी पी०डब्लू०–6 उपनिरीक्षक संजीव कुमार को परीक्षित कराया गया है जिन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि थाना सकीट पर पंजीकृत अभियोग संख्या–139 सन 2017 धारा 147, 148, 149, 307, 504 भारतीय दंड संहिता की विवेचना उप निरीक्षक श्री दिनेश कुमार वर्मा द्वारा की जा रही थी। पूर्व निरीक्षक का स्थानांतरण हो जाने के कारण उक्त अभियोग की विवेचना आदेशानुसार प्रभारी निरीक्षक महोदय के आदेश दिनांक 12–07–2017 को उसे सुपुर्द की गई। आदेश के अनुपालन में विवेचना ग्रहण कर सी०डी०नंबर पांच दिनांक 12–07–2017 को किता किया गया। पूर्व विवेचक द्वारा किता की गई। केस डायरी का अवलोकन किया गया। सी०डी० पर्चा नंबर 6 दिनांक 30–07–2017 को साक्षी धीरेंद्र पुत्र नाहर सिंह, चरण सिंह पुत्र रामेश्वर, लक्ष्मी

नारायण पुत्र मनोहर सिंह, राजपाल पुत्र अजब सिंह, मुनेंद्र कुमार पुत्र नाहर सिंह के कथन अंकित किए गए। सी०डी० नंबर 07 दिनांक 04–08–2017 को माननीय उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ। जिसमें अभियुक्तगण दयाराम आदि को गिरफ्तार न करने का स्टे प्राप्त हुआ, जिसकी केस डायरी में नकल करते हुए संलग्न सी०डी० किया गया। सी०डी० नंबर 8 दिनांक 14–08–2017 को किता की गई। जिसमें अभियुक्तगण दयाराम आदि 10 नफर के कथन अंकित करते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या–104 सन 2017 माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। जो पत्रावली पर कागज संख्या 3 अ/1 है। जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

20. बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा करने पर पी०डब्लू०–6 उपनिरीक्षक संजीव कुमार ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि साक्षी धीरेंद्र, चरण सिंह, लक्ष्मी नारायण, राजपाल और मुनेंद्र की धारा 161 दं०प्र०स० के विस्तृत बयान उसके पूर्व विवेचक दिनेश कुमार वर्मा द्वारा अंकित किए गए थे। उसके द्वारा सी०डी० नंबर 6 पर उपरोक्त साक्षियों के शपथ पत्रों को सत्यापित कर उनके सशपथ कथन अंकित किए गए थे। उपरोक्त साक्षीगण थाने पर आए थे। साक्षी मुनेंद्र भी आया था। अगर साक्षी मुनेंद्र न्यायालय में यह कथन देता है कि उसके द्वारा कोई शपथ पत्र विवेचना में नहीं दिया तो वह झूठ बोलता है। मुनेंद्र ने उसे घटना के समय लक्ष्मी नारायण के पास होना बताया है। उसने उसे लक्ष्मी नारायण से 100 मीटर दूर होना नहीं बताया था। उसे वादी लक्ष्मी नारायण ने घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से पहले पुलिस बल मौके पर पहुंचाना नहीं बताया था। साक्षी मुनेंद्र ने वादी लक्ष्मी नारायण का खेत की मेड़ की आड़ लेकर फायर से बचाना बताया था। उसके द्वारा शीशम की आड़ या तालाब की आड़ लेकर वादी लक्ष्मी नारायण का फायर से बचना नहीं बताया था। उक्त शपथ पत्र जो सी०डी० नंबर 6 में उसके द्वारा किता किए गए हैं। वह शपथ पत्र उसे पूर्व विवेचक की विवेचना द्वारा प्राप्त हुए थे। वह पूर्व विवेचना में मौके पर नहीं गया था। यह कहना गलत है कि वादी से मिलकर उसने गलत विवेचना की हो। यह कहना भी गलत है कि उसने गलत कागज पेश किया हो। यह कहना भी गलत है कि वह झूठी गवाही दे रहा हो।

21. अभियोजन पक्ष द्वारा बतौर साक्षी पी०डब्लू०–7 निरीक्षक दिनेश कुमार को परीक्षित कराया गया है, जिन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 12–06–2017 को वह थाना सकीट जनपद एटा पर उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उक्त दिनांक को प्रभारी निरीक्षक के मौखिक आदेश से अभियोग अपराध संख्या 139/2017 धारा 147, 148, 149, 307, 504 भा०द०स०बनाम दयाराम आदि 10 नफर अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग की विवेचना मुझ उपनिरीक्षक को सुपुर्द हुई। जिसमें दिनांक 12–06–2017 को सीडी पर्चा नंबर 1 किता किया, जिसमें नकल चिक, नकल रपट, कथन एफआईआर लेखक एच.एम.हुकुम सिंह व कंप्यूटर कर्मचारी एच.सी.मनीष शर्मा के कथन अंकित किया।

दिनांक 16–06–2017 को सी०डी०पर्चा नंबर 2 किता किया, जिसमें बयान वादी लक्ष्मी नारायण की निशानदेही पर निरीक्षक घटनास्थल किया व नक्शा नजरी मौके पर तैयार किया जो पत्रावली पर कागज संख्या–8 अ है, जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में हैं। जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया तथा सफाई साक्ष्य में पीताम्बर पुत्र चोब सिंह का बयान अंकित किया। दिनांक 26–06–2017 को सीडी पर्चा नंबर 3 किता किया, जिसमें बयान साक्षीगण राजपाल, धीरेन्द्र, चरन सिंह व रवेन्द्र सिंह के कथन अंकित किए। दिनांक 02–07–2017 को अवलोकन आदेश श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए गए शपथ पत्र शपथकर्ता धीरेन्द्र सिंह, चरन सिंह, लक्ष्मी नारायण, राजपाल, मुनेन्द्र अवलोकन कर आवेदन व शपथ पत्र संलग्न सी०डी०किता किया। इसके उपरांत उसका स्थानांतरण हो गया था।

22. बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा करने पर पी०डब्लू०–7 निरीक्षक दिनेश कुमार ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि घटनास्थल थाना से 4 किमी दूर है। घटना की रिपोर्ट घटना के करीब 8 घंटे बाद हुयी। उसकी विवेचना के अनुसार रिपोर्ट से पूर्व व घटना के पश्चात कोई पुलिस फोर्स घटनास्थल पर नहीं गया था और ना ही लिखित सूचना प्रदर्श क–1 से पहले कोई सूचना घटना के संबंध में थाने पर आयी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी ने यह गलत अंकित कराया कि घटना की सूचना पुलिस को दी गयी। जिससे पुलिस मौके पर पहुंची और तब अभियुक्तगण भाग गये। इस झूठी बात को लिखाने का कोई स्पष्टीकरण वादी ने उसे अपने बयान में नहीं दिया था। उसने मौका मुआयना वादी की निशानदेही पर किया था। वादी का गाँव घटनास्थल से उत्तर की तरफ 500 मीटर दूर होगा। उसने घटनास्थल जहां फायरिंग के समय वादी था वह नक्शानजरी में A से दर्शाया गया है। यह A स्थान खेत वादी में है, जिसमें चरी की फसल खड़ी थी। इसके उत्तर तरफ लगा हुआ वादी का वह खेत था जो खाली था। नक्शानजरी में एच व सी से वह मेड़ दर्शायी गयी है। जिसके पीछे वादी ने छुपकर जान बचायी। साक्षियों की उपस्थिति नक्शा–नजरी में कहीं नहीं दर्शायी। यदि वादी और साक्षीगण अपनी उपस्थिति का कोई विशेष स्थान बताते तो वह दर्शाता। घटनास्थल पर कहीं भी कोई खोखे कारतूस नहीं मिले, कोई छर्रे टिक्की बुलेट भी नहीं मिली। फायरिंग से जली कोई फसल भी नहीं मिली। शीशम के पेड़ या घटनास्थल पर कहीं भी कोई फायरिंग के कोई चिन्ह भी नहीं मिले। मामला नो इंजरी केस का है कोई असलाह की बरामदगी नहीं हुई। घटना का कोई भौतिक साक्ष्य नहीं मिला। इस संबंध में वादी कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया कि इतनी फायरिंग होने के बाद भी किसी को चोट आयीं और ना कोई भौतिक साक्ष्य मिला। उसने नक्शा–नजरी में वादी के अनुसार बी से वह स्थान दर्शाया है। जहां से अभियुक्तगण द्वारा फायरिंग करना बताया गया है। इस खेत में बढ़ी हुई चरी की फसल थी, जिसमें छुपकर फायरिंग हुयी। वह ए स्थान से बी स्थान की दूरी 50 मीटर के करीब थी। बीच के खेतों का कोई साक्षी नहीं था। उसने एफआईआर पढ़ी थी। एफआईआर के अनुसार नामित सभी अभियुक्तगण जिनमें महिलाएं भी थीं, ने फायरिंग की

थी। एफआईआर के अनुसार किसी नामित अभियुक्त को लाठी डंडा नहीं दर्शाया था और ना ही लाठी डंडा किसी अभियुक्त द्वारा किसी को मारना पीटना बताया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई अज्ञात व्यक्ति नहीं थे। वादी ने सभी अभियुक्तगण का एक ही दिशा से आना बताया था,जिसे उसने तीर के निशान दर्शाया है। उसे वादी ने यह नहीं बताया था कि घटनास्थल पर अभियुक्तगण अलग–अलग दिशाओं से आये थे। यह बयान नहीं दिया था कि अभियुक्त मनोज उत्तर–पश्चिम दिशा से सत्यपाल भी उसी दिशा से आया था, यह भी नहीं बताया था कि ओकेश उसी दिशा से तथा शेष बाकी अभियुक्तगण उत्तर–पूर्व दिशा से आये थे। वादी उसे खाली खेत में घटना होना नहीं बताया था। उसे घटनास्थल पर ट्रैक्टर नहीं मिला था ना ही ट्रैक्टर का कोई नं. वादी या साक्षियों ने बताया और ना बतौर साक्षी ट्रैक्टर चालक को पेश किया। बादी यह भी नहीं बता पाया कि यह ट्रैक्टर किसका था। वादी ने उसे अपने बयान में या मौका मुआयना के समय में ना ऐसा कोई स्थान दिखाया ना बताया जहां घटना के समय साक्षीगण बकरी चरा रहे थे। वादी ने उसे कथनों में किसी अभियुक्त पर लाठी–डंडा होना नहीं बताया था। घटनास्थल से लगा हुआ दक्षिण तरफ ग्राम समाज का तालाब था, परंतु वादी ने उसे ऐसा बयान नहीं दिया कि उसने तालाब की आड़ लेकर बचाया, बल्कि उसने यह बताया कि मेढ़ की आड़ लेकर बचाया। वादी ने उसे यह बयान दिया था कि नामित पुरुष अभियुक्तगण घर की महिलाएं अवैध असलाह लेकर आयीं थी, जो परिवारीजनों को चलाने के लिए दी थी। साक्षी धीरेन्द्र ने उसे विशिष्ट रूप से नहीं बताया था कि कौन अभियुक्त क्या असलाह लिये है। धीरेन्द्र ने उसे यह बयान नहीं दिया कि अभियुक्तगण ने वादी लक्ष्मी नारायण के खेत से ही फायरिंग की थी, बल्कि नक्शा नजरी के अनुसार दरबारी के खेत से फायरिंग हुयी थी। उसने इस साक्षी का बयान दिनांक 26–06–2017 को लिया था। साक्षी चरन सिंह का मकान घटनास्थल के आस–पास कहीं नहीं है ना उसने घटना के समय अपनी उपस्थिति अपने घर पर बतायी और ना ऐसा बयान दिया कि उसने घर पर फायरिंग की आवाज सुनी थी। बल्कि उसने यह बयान दिया था कि फायरिंग की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंचा था। उसने उसे ऐसा बयान नहीं दिया था कि अभियुक्तगण उसके सामने लाठी–डंडों से मारपीट कर रहे थे, ना उसने ऐसा बयान दिया कि उसके सामने पुलिस ने खोखा और छर्रे मौके से उठाये थे और ना ही उसने ऐसा बयान दिया कि लक्ष्मी नारायण के खेत से ही लक्ष्मी नारायण पर फायरिंग हुयी। मुनेन्द्र का बयान उसके द्वारा नहीं लिखा गया ना वो उसके सामने विवेचना में आया। उसने दिनांक 26–06–2017 को साक्षी राजपाल का बयान लिया था। उसने फायरिंग लक्ष्मी नारायण फौजी के खेत से होना बताया था और ना यह बताया था कि लक्ष्मी नारायण पर फायरिंग तीन–चार हाथ की दूरी से हुयी। उसने उसे अपने बयान में यह नहीं बताया कि लक्ष्मी नारायण के ऊपर दामोदर मनोज और दयाराम ने रायफल से फायर किये थे। इस साक्षी का शपथपत्र आया था। राजपाल ने उसे इस साक्षी ने उसे यह कथन नहीं दिया कि वह कप्तान

सिंह के खेत में बकरियां चरा रहा था। इसलिए घटना देखी ना उसने घटना देखने का उसे विशिष्ट स्थान बताया था। यह कहना गलत है कि उसने वादी से मिलकर मुकदमे की फर्जी की कार्यवाही की हो।

23. पी०डब्लू०–8 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक हुकुम सिंह ने मुख्य परीक्षा में शपथ पर कथन किया है कि दिनांक 12–06–2017 को वह थाना सकीट जनपद एटा पर एच.एम. के पद पर तैनात था। उक्त दिनांक को लक्ष्मी नारायण पुत्र मनोहर सिंह निवासी बहलोलपुर थाना सकीट जिला एटा की लिखित सूचना के आधार पर अभियोग अपराध संख्या 139/17 धारा 147, 148, 149, 307, 504 IPC बनाम दयाराम आदि 10 नफर अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया था जिसकी विवेचना एस. आई. श्री दिनेश कुमार जी को दी गई। घटना की सूचना अधिकारीगण व कंट्रोल रूम को द्वारा आरटीसेट व मोबाइल फोन से दी गई। चिक एफआईआर पत्रावली पर कागज संख्या 4 अ/1 लगायत 4 अ/4 है। जिस पर थाने की मोहर व थाना प्रभारी के हस्ताक्षर हैं। जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। जिसका खुलासा जीडी में रपट नंबर 39 समय 17.30 बजे पर उसी दिनांक को किया था। जी०डी० की कार्बन प्रति पत्रावली पर कागज संख्या 7 अ/1 है। जिसे वह आज प्रमाणित करता है। जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। विवेचक ने उसी दिन उसका कथन लिया था।

24. बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा करने पर पी०डब्लू०–8 उपनिरीक्षक हुकुम सिंह ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी ने करीब आठ घंटे के विलंब से दर्ज करायी। प्रदर्श क–5 जी०डी० अभियोग कायमी में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि इस घटना के संबंध में किसी पूर्व सूचना पर पुलिस पहले से ही घटनास्थल पर रवाना हो चुकी है। चिक रिपोर्ट के कॉलम नं.6 सी में वादी की कोई उम्र अंकित नहीं की गयी और ना ही कॉलम नं. 14 में उसके हस्ताक्षर हैं। यह कथन किया है कि उसके द्वारा अभियोग एंटी टाइम दर्ज किया गया। यह कहना भी गलत है कि वह झूठी साक्ष्य दे रहा है।

25. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत सभी अभियुक्तगण के कथन अंकित किए गए। अभियुक्तगण ने अभियोजन के सभी साक्ष्यों को पूर्णतः गलत और निराधार बताया। उन्होंने कथन किया है कि उन्हें वैमनस्य और दीवानी मुकदमों के कारण इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने यह भी कथन किया है कि साक्षियों द्वारा दिए गए सभी साक्ष्य पूर्णतः असत्य हैं, विवेचक द्वारा फर्जी प्रपत्र तैयार किए गए हैं, तथा मौके पर ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई थी। उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताते हुए न्याय की याचना की है।

26. अभियोजन पक्ष ने सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध अपना मामला सिद्ध करने के लिए कथन किया है कि अभियुक्तों का सामान्य उद्देश्य वादी की हत्या करना था। अभियोजन के अनुसार, यद्यपि कोई चोट कारित नहीं हुई, फिर भी धारा 307 भारतीय दंड संहिता के अपराध के गठन के लिए अभियुक्तों का आशय ही पर्याप्त है। अभियोजन ने माननीय उच्चतम

न्यायालय के दृष्टांत **State of M.P v. Imrat and Anr., AIR 2008 SC 2967** का अवलंब लेते हुए कथन किया है कि "Intention or knowledge of accused is relevant, not nature of injury actually caused to victim." इसके अतिरिक्त, बचाव पक्ष द्वारा हेतुक के अभाव के तर्क का खंडन करते हुए अभियोजन ने **Bhimappa Chandappa Hosamani and Ors. v. State of Karnataka, 2006 AIR SCW 5043** का संदर्भ प्रस्तुत किया और कथन किया है कि "Existence of motive is only one of circumstances to be kept in mind while appreciating evidence. If evidence of witnesses appears to be truthful and convincing, failure to prove motive is not fatal." अभियोजन ने यह भी कथन किया है कि दंडादेश के प्रश्न पर, **State of M.P v. Saleem alias Chamaru and another, AIR 2005 SC 3996** के अनुसार, "Sentence imposed should respond to society's cry for justice against criminal. Liberal attitude by imposing meagre sentence would be counter procedure."

27. बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने सभी अभियुक्तगण को निर्दोष बताते हुए कथन किया है कि उन्हें भूमि विवाद और पुरानी शत्रुता के कारण मिथ्या फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने कथन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यंत विलंब से दर्ज कराई गई है, जो संपूर्ण कथानक को संदेहास्पद बनाता है। इस संदर्भ में **State of Rajasthan v. Teja Singh and others, AIR 2001 SC 990** का संदर्भ दिया गया कि "Delay in sending FIR to Magistrate cannot be ground for condoning said delay because requirement of law is that FIR should reach concerned Magistrate without any undue delay." बचाव पक्ष ने आगे कथन किया है कि घटनास्थल से कोई भी भौतिक साक्ष्य जैसे खोखा या छर्रे बरामद नहीं हुए हैं और न ही ट्रैक्टर चालक जैसे महत्वपूर्ण स्वतंत्र साक्षी का परीक्षण कराया गया है। इस संबंध में **State of U.P v. Punni and Ors., 2008 (1) ALJ 729 (SC)** का संदर्भ दिया गया कि "Non–examination of I.O. was held fatal to prosecution", जिसे स्वतंत्र साक्षियों के परीक्षण के महत्व के रूप में तर्कित किया गया है। बचाव पक्ष ने यह भी कथन किया है कि अभियुक्तों के शरीर पर आई चोटों का स्पष्टीकरण न होना बचाव पक्ष के कथन को बल देता है, जिसके लिए **Bishna alias Bhiswadeb Mahato and Ors v. State of W. B., AIR 2006 SC 302** का अवलंब लेते हुए कहा गया कि "Non–explanation of injuries on person of accused probabilises defence version." अतः सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

28. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह पूर्णतः 'नो–इंजरी' का प्रकरण है। दाण्डिक न्यायशास्त्र के सुस्थापित सिद्धांतों के अंतर्गत किसी भी आपराधिक मामले के न्यायनिर्णयन

में प्रथम सूचना रिपोर्ट का समय, उसका विलंब और उसकी प्रामाणिकता का सूक्ष्म एवं गहन विश्लेषण किया जाना नितांत आवश्यक है। अभियोजन कथानक के अनुसार प्रस्तुत घटना दिनांक 12/06/2017 को प्रातः 09:00 बजे घटित होना बताया गया है। वादी पी०डब्लू०–1 लक्ष्मीनरायण ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि घटना के तुरंत बाद उसने मोबाइल फोन के माध्यम से पुलिस को सूचना दी और पुलिस तत्काल मौके पर आ गई थी, जिसके पश्चात वह थाने गया और लगभग 11:00 बजे तक उसने अपनी लिखित सूचना (तहरीर) मुंशी जी को दे दी थी। परंतु, पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श क–5 जो कि जनरल डायरी (जी०डी०) की कार्बन प्रति है, तथा पी०डब्लू०–8 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक हुकुम सिंह के साक्ष्य से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण दिनांक 12/06/2017 को सायं 17:30 बजे (रपट नंबर 39) किया गया था। घटनास्थल और पुलिस थाना सकीट के मध्य की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है। एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी (सूबेदार मेजर) होने के नाते वादी से यह पूर्ण अपेक्षा की जाती है कि वह त्वरित गति से पुलिस कार्यवाही में सहयोग करेगा और बिना किसी विलंब के अभियोग पंजीकृत कराएगा। घटना प्रातः 09:00 बजे की है और अभियोग सायं 17:30 बजे पंजीकृत किया गया, जो कि लगभग 8 घंटे से अधिक का अत्यधिक और अनुचित विलंब है। वादी द्वारा इस विलंब का कोई भी तार्किक या संतोषजनक स्पष्टीकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। पी०डब्लू०–7 निरीक्षक दिनेश कुमार वर्मा (विवेचना अधिकारी) ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि "प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी ने करीब आठ घंटे के विलंब से दर्ज करायी... मेरी विवेचना के अनुसार रिपोर्ट से पूर्व व घटना के पश्चात कोई पुलिस फोर्स घटनास्थल पर नहीं गया था।" यह तथ्य वादी के उस कथन को पूर्णतः असत्य सिद्ध करता है जिसमें उसने कहा था कि पुलिस तुरंत मौके पर आई थी। इस प्रकार के अनुचित विलंब के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में विचार–विमर्श, पूर्व–योजना और मिथ्या फंसाने की प्रबल संभावना उत्पन्न होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **State of Rajasthan v. Teja Singh and others, AIR 2001 SC 990** में यह स्थापित किया गया है कि – "दो दिनों का विलंब प्रथम सूचना रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट तक भेजने में हुआ... यह विधि की आवश्यकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना किसी अनुचित विलंब के संबंधित मजिस्ट्रेट तक पहुंचनी चाहिए।" यद्यपि यहाँ विलंब थाने तक सूचना पहुँचने का है, परंतु सिद्धांततः आठ घंटे का यह विलंब, वह भी तब जब वादी और अभियुक्तों के मध्य पूर्व से ही दीवानी और दाण्डिक मुकदमेबाजी चल रही हो, संपूर्ण अभियोजन कथानक को अत्यंत संदेहास्पद बनाता है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय ने **T.T. Antony v. State of Kerala and others, AIR 2001 SC 2637** में यह स्थापित किया है कि – "टेलीग्राम या फोन कॉल से दी गई अस्पष्ट सूचना प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं है।" वादी का यह कथन कि उसने फोन पर सूचना दी, उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट

नहीं माना जा सकता, वास्तविक रिपोर्ट सायं 17:30 बजे ही दर्ज हुई है। अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक विलंब से, विधि परामर्श और पूर्व–योजना के तहत दर्ज कराई गई है, जो अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता को मूल रूप से क्षीण करती है।

29. अभियोजन साक्ष्य का साक्षीवार और समग्र मूल्यांकन किया जाना न्यायनिर्णयन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अभियोजन ने अपने कथानक को सिद्ध करने के लिए कुल 8 साक्षियों का परीक्षण कराया है, जिनमें से पी०डब्लू०–1 से पी०डब्लू०–5 तक तथ्य के साक्षी (चक्षुदर्शी साक्षी) होने का दावा करते हैं। इन साक्षियों की विश्वसनीयता, ग्राह्यता और साक्ष्य विधि के अंतर्गत उनके कथनों के महत्व का विस्तृत परीक्षण आवश्यक है।

30. पी०डब्लू०–1 लक्ष्मीनरायण, जो कि वादी मुकदमा है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 12/06/2017 को वह अपने खेत की लेवलिंग ट्रैक्टर से करा रहा था, तभी दसों अभियुक्तगण (जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल हैं) एक राय (सामान्य उद्देश्य) होकर अवैध आयुधों (राइफल, देशी पिस्तौल, लाठी, डंडे) से लैस होकर आए और जान से मारने के आशय से उस पर अंधाधुंध फायर किए। पी०डब्लू०–1 का साक्ष्य प्रथम दृष्टया ही अत्यंत अविश्वसनीय प्रतीत होता है। उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि "घटना के समय कितने फायर हुए थे वह गिनती नहीं बता सकता। क्योंकि वह अनगिनत थे, लेकिन यह सारे फायर उसे लक्ष्य बनाकर किए गये थे। इतने सारे फायर होने के बावजूद उसके एक भी छर्रे नहीं लगे।" यह तथ्य सामान्य मानव बुद्धि और कार्य–कारण सिद्धांत के सर्वथा विपरीत है कि दस लोग, जिनमें से कई के पास राइफल और तमंचे (देशी पिस्तौल) हों, 50 से 100 मीटर की दूरी से अनगिनत फायर करें और वादी को एक खरोंच तक न आए। वादी ने यह भी कथन किया है कि उसने अपना बचाव शीशम के पेड़ और तालाब की मेड़ के पीछे छुपकर किया, परंतु उसने स्वयं स्वीकार किया है कि "पेड़ पर एक भी फायर नहीं लगा था।" यदि अनगिनत गोलियां चलीं, तो न तो वादी को लगीं, न उसकी पत्नी को लगीं, न ट्रैक्टर को लगीं, और न ही उस पेड़ को लगीं जिसके पीछे वह छिपा था। यह भौतिक असंभवता पी०डब्लू०–1 के संपूर्ण साक्ष्य को पूर्णतः मनगढ़ंत और असत्य सिद्ध करती है। पी०डब्लू०–1 के साक्ष्य में पूर्व वैमनस्य का स्पष्ट प्रकटीकरण हुआ है। उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि अभियुक्तगणों के साथ उसके खेत की मेड़ और नाली को लेकर उच्च अधिकारियों के समक्ष शिकायत की गई थी। इसके अतिरिक्त, अभियुक्तगणों और वादी/साक्षियों के परिवारों के मध्य कई अन्य दाण्डिक वाद भी लंबित हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Hari Obula Reddi and others v. The State of A.P., AIR 1981 SC 82** में यह स्थापित किया गया है कि – "किसी साक्षी के साक्ष्य को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वह पक्षपातपूर्ण या हितबद्ध है या मृतक का निकट संबंधी है... यदि उसका साक्ष्य विश्वसनीय और संभाव्य पाया जाता है, तो

उस पर कार्रवाई की जा सकती है। यदि यह पाया जाता है कि साक्षी का अभियुक्त को झूठा फंसाने का हेतुक है, तो उसके साक्ष्य को स्वीकार करने से पहले तात्विक विवरणों में संपुष्टि होनी चाहिए।" इस विधिक सिद्धांत के आलोक में, पी०डब्लू०–1 एक अत्यधिक हितबद्ध और वैमनस्य रखने वाला साक्षी है। उसके साक्ष्य की संपुष्टि किसी भी स्वतंत्र साक्ष्य या भौतिक साक्ष्य से नहीं होती है। घटनास्थल से न तो कोई खोखा मिला, न कोई छर्रा, और न ही खून या गोली के निशान। अतः पी०डब्लू०–1 का साक्ष्य पूर्णतः अविश्वसनीय और साक्ष्य विधि के अंतर्गत अस्वीकार्य है।

31. पी०डब्लू०–2 धीरेन्द्र सिंह को अभियोजन ने एक स्वतंत्र चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया है। इसने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि वह घटनास्थल से 400 मीटर की दूरी पर बकरियां चरा रहा था। सबसे पहले, 400 मीटर की दूरी से किसी भी व्यक्ति के लिए यह देखना लगभग असंभव है कि 10 व्यक्तियों की भीड़ में से किसके हाथ में कौन सा विशिष्ट हथियार है और कौन पहले गोली चला रहा है। पी०डब्लू०–2 ने प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि "समय 15:20 मिनट में 30–40 फायर हो गए होंगे... यह 30–40 फायर लक्ष्मी नारायण व लक्ष्मी नारायण की पत्नी पर हुए थे... ना तो कोई फायर शीशम के पेड़ में लगाना है और ना ही लक्ष्मी नारायण व लक्ष्मी नारायण की पत्नी के लगा।" 30–40 फायर होने के बावजूद किसी का भी चुटैल न होना इस साक्षी के साक्ष्य को संदिग्ध बनाता है। इसके अतिरिक्त, पी०डब्लू०–2 की निष्पक्षता भी पूर्णतः खंडित हो चुकी है। उसने स्वयं स्वीकार किया है कि अभियुक्त दफेदार ने उसके तथा उसके भाई मुनेंद्र (पी०डब्लू०–4) और अन्य परिजनों के विरुद्ध आगजनी (गल्ला जलाने) और धारा 435 भारतीय दंड संहिता का अभियोग पूर्व में दर्ज कराया था, जो न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकार, पी०डब्लू०–2 कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, बल्कि एक अत्यंत द्वेषपूर्ण और हितबद्ध साक्षी है जो अपने विरुद्ध दर्ज मुकदमों का बदला लेने के लिए इस मिथ्या कथानक में वादी का साथ दे रहा है। ऐसे द्वेषपूर्ण साक्षी के बिना किसी भौतिक संपुष्टि के दिए गए साक्ष्य पर दोषसिद्धि का आधार नहीं रखा जा सकता।

32. पी०डब्लू०–3 चरन सिंह ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि वह फायर की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंचा और उसने मुल्जिमान को लाठी–डंडों से लक्ष्मीनारायण की मारपीट करते देखा। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विरोधाभासी कथन किया है कि "उसके चाचा के शरीर पर लाठी–डंडों की काफी चोटें थीं। उसके चाचा के चोटें पीठ पर, हाथ, पैर और जोड़ों पर और सर पर भी थीं।" यह कथन अभियोजन के संपूर्ण मामले की जड़ पर कुठाराघात करता है। वादी पी०डब्लू०–1 ने स्वयं अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि "किसी अभियुक्तगण ने जिनके पास लाठी डंडा था, उन्होंने लाठी–डंडा उसे नहीं मारा। क्योंकि वह डंडे वाले उससे 100–200 मीटर की दूरी पर थे।" इसके अलावा, पूरे प्रकरण में कोई भी चिकित्सीय परीक्षण पत्रावली

पर उपलब्ध नहीं है। विवेचक (पी०डब्लू०–7) ने भी स्पष्ट किया है कि यह 'नो–इंजरी' का मामला है। अतः पी०डब्लू०–3 द्वारा वादी के सिर, हाथ, पैर और पीठ पर लाठी–डंडों की चोटें देखने का कथन पूर्णतः मिथ्या, कपोल–कल्पित और न्यायालय को गुमराह करने वाला है। पी०डब्लू०–3 वादी का सगा भतीजा है (उसके पिता रामेश्वर और वादी के पिता मनोहर सिंह सगे भाई हैं)। साथ ही, इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि अभियुक्ता हीरावती ने इसके विरुद्ध मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। अतः पी०डब्लू०–3 एक अत्यंत हितबद्ध, वैमनस्यपूर्ण और सरासर झूठ बोलने वाला साक्षी है, जिसके साक्ष्य का किंचीत भी विधिक महत्व नहीं है।

33. पी०डब्लू०–4 मुनेन्द्र कुमार, जो कि पी०डब्लू०–2 धीरेन्द्र का सगा भाई है, ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि वह अपने घर लौटते समय घटनास्थल से 100 मीटर दूर था जब उसने घटना देखी। इस साक्षी ने भी 30–40 फायर होने की बात कही है। उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि "अनगिनत फायर होने के बाद भी एक भी छर्रे लक्ष्मी नारायण को नहीं लगा। लेकिन कई फायर पेड़ पर लगे। दरोगाजी ने पेड़ पर लगे फायर देखे थे।" यह कथन विवेचक पी०डब्लू०–7 के कथन से विरोधाभासी है, जिसमें विवेचक ने स्पष्ट किया है कि "शीशम के पेड या घटनास्थल पर कहीं भी कोई फायरिंग के कोई चिन्ह भी नहीं मिले।" इसके अतिरिक्त, पी०डब्लू०–4 ने यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्ता हीरावती का उसके खिलाफ अभियोग न्यायालय में चल रहा है, तथा अभियुक्त दयाराम के विरुद्ध पी०डब्लू०–4 ने स्वयं एक दीवानी मुकदमा दायर कर रखा है। अतः पी०डब्लू०–4 भी एक रूप से हितबद्ध, पूर्व वैमनस्य रखने वाला और असत्यवादी साक्षी है। उसका साक्ष्य भौतिक साक्ष्यों के अभाव में पूर्णतः संदेहास्पद और अग्राह्य है।

34. पी०डब्लू०–5 राजपाल ने भी एक अन्य संयोगिक साक्षी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है और कहा है कि वह तालाब के किनारे बकरियां चरा रहा था। इस साक्षी ने कथन किया है कि कुल 6 फायर हुए जो वादी की पत्नी और धेवती पर हुए। यह कथन अन्य सभी साक्षियों (जिन्होंने 30–40 या अनगिनत फायर बताए) और वादी के स्वयं के कथन से पूर्णतः विरोधाभासी है। पी०डब्लू०–5 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में एक अत्यंत वैमनस्य का खुलासा किया है। उसने स्वीकार किया है कि उसकी पहली पत्नी रानी के कत्ल के मुकदमे में उसने अभियुक्त दफेदार के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई थी, परंतु विवेचक ने दफेदार का नाम निकालकर स्वयं इस साक्षी को ही अपनी पत्नी के कत्ल का अभियुक्त बना दिया था और वह 6 माह जेल में रहा था। इसके अलावा, अभियुक्त दफेदार ने इस साक्षी के भतीजों (पी०डब्लू०–2 और पी०डब्लू०–4) के विरुद्ध भी अभियोग दर्ज कराए थे। इस प्रकार की भयंकर और गहरी रंजिश के चलते, पी०डब्लू०–5 का अभियुक्तगणों के विरुद्ध साक्ष्य देना एक स्वाभाविक और द्वेषपूर्ण कृत्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Jaisingh and Ors. v. State of Karnataka, 2007 AIR SCW 2453** में यह स्थापित किया गया है कि

– "संयोगिक साक्षियों का आचरण बिल्कुल अप्राकृतिक है... गवाहों के इस तरह के आचरण से उनका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं रह जाता।" यहाँ पी०डब्लू०–5 न केवल एक संयोगिक साक्षी है, बल्कि एक अत्यंत दुर्भावनापूर्ण और घोर हितबद्ध साक्षी है, जिसका एकमात्र उद्देश्य अभियुक्तों को किसी भी प्रकार से दंडित कराना है। अतः इसका साक्ष्य पूर्णतः साक्ष्य विधि के विपरीत और अस्वीकार्य है।

35. पी०डब्लू०–6 उपनिरीक्षक संजीव कुमार और पी०डब्लू०–7 निरीक्षक दिनेश कुमार वर्मा विवेचना अधिकारी हैं। पी०डब्लू०–7 का साक्ष्य इस वाद के निस्तारण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पी०डब्लू०–7 ने अपनी मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट और अकाट्य रूप से स्वीकार किया है कि "घटनास्थल पर कहीं भी कोई खोखे कारतूस नहीं मिले कोई छर्रे टिक्की बुलट भी नहीं मिली। फायरिंग से जली कोई फसल भी नहीं मिली। शीशम के पेड या घटनास्थल पर कहीं भी कोई फायरिंग के कोई चिन्ह भी नहीं मिले। मामला नो इंजरी केस का है। कोई असलाह की बरामदगी नहीं हुयी। घटना का कोई भौतिक साक्ष्य नहीं मिला।" विवेचक का यह स्पष्ट कथन अभियोजन के उस पूरे महल को ताश के पत्तों की तरह ढहा देता है जिसमें 10 अभियुक्तों द्वारा 30–40 राउंड गोलीबारी करने का दावा किया गया था। बिना किसी भौतिक साक्ष्य के, केवल ऐसे साक्षियों के मुखाग्र कथनों पर जो स्वयं स्वीकार करते हैं कि उनकी अभियुक्तों से गहरी दुश्मनी है।

36. संपूर्ण चक्षुदर्शी और मौखिक साक्ष्य का समग्र मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि पी०डब्लू०–1 से लेकर पी०डब्लू०–5 तक सभी साक्षी एक ही कुनबे, परिवार या गुट के सदस्य हैं, जिनकी अभियुक्त पक्ष से पुरानी, गहरी और गंभीर वैमनस्यता (दीवानी और दाण्डिक दोनों प्रकार की) निर्विवाद रूप से सिद्ध है। इन सभी साक्षियों ने एक ऐसा कथानक गढ़ा है जो भौतिक रूप से असंभव है। 10 सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा, 50–100 मीटर या उससे कम दूरी से (पी०डब्लू०–5 के अनुसार 15 हाथ की दूरी से), वादी को लक्ष्य बनाकर 30–40 राउंड गोलियां चलाई जाएं और वादी को एक भी खरोंच न आए, न कोई छर्रा मिले, न खोखा मिले, न पेड़ पर निशान हो—यह कहानी किसी काल्पनिक कथा में तो संभव हो सकती है, परंतु वास्तविकता के धरातल पर और विधि के कठोर परीक्षण में यह पूर्णतः असत्य और मनगढ़ंत है। ऐसे साक्षियों के कथनों में एकरूपता सत्यता का परिचायक नहीं है, बल्कि यह एक सुनियोजित और रटे–रटाए कथानक का स्पष्ट प्रमाण है। अभियोजन का पूरा मामला झूठ की नींव पर खड़ा है और प्रथम दृष्टया ही खारिज किए जाने योग्य है। बचाव पक्ष का यह तर्क पूर्णतःविधिक और तार्किक है कि अभियुक्तों को पुरानी रंजिश के कारण इस मिथ्या मामले में फंसाया गया है। अतः, अभियोजन का संपूर्ण मौखिक साक्ष्य अविश्वसनीय, संदेहास्पद और दुर्भावना से ग्रसित होने के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं है।

37. घटना की तिथि और समय का विश्लेषण दाण्डिक न्यायशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभियोजन के अनुसार घटना दिनांक 12/06/2017 को प्रातः 09:00 बजे घटित हुई। यदि यह घटना वास्तव में 9:00 बजे घटित हुई होती और वादी पी०डब्लू०–1 के अनुसार पुलिस तुरंत मौके पर आ गई होती, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट को शाम 17:30 बजे पंजीकृत करने का कोई औचित्य नहीं था। पी०डब्लू०–7 (विवेचक) ने स्पष्ट किया है कि पुलिस घटना के बाद और रिपोर्ट दर्ज होने से पूर्व मौके पर गई ही नहीं थी। वादी पी०डब्लू०–1 का यह कहना कि वह 11 बजे तक थाने में तहरीर दे चुका था और 12 बजे तक रिपोर्ट दर्ज हो गई थी, पुलिस के आधिकारिक प्रपत्रों (जी०डी० और चिक एफआईआर) से सीधे तौर पर खंडित होता है। यह 8–8.5 घंटे का समय अंतराल वादी और उसके सहयोगियों (जो अन्य मुकदमों में भी सह–अभियुक्त या वादी रहे हैं) को एक साथ बैठकर एक मिथ्या कथानक रचने और अभियुक्तों के पूरे परिवार को फंसाने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। घटना के समय (प्रातः 9 बजे) पी०डब्लू०–1 का खेत में लेवलिंग का कार्य करना बताया गया है, परंतु जिस ट्रैक्टर और उसके चालक के माध्यम से यह कार्य हो रहा था, उस ट्रैक्टर चालक का न तो नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है, न पुलिस ने उसका बयान लिया, और न ही उसे न्यायालय में साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया। एक अज्ञात ट्रैक्टर चालक, जो घटना का सबसे महत्वपूर्ण और स्वतंत्र चक्षुदर्शी साक्षी हो सकता था, का न होना इस घटना की तिथि और समय पर ही एक गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है।यहाँ सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्र साक्षी (ट्रैक्टर चालक) का परीक्षण न होना घटना के समय और स्थान दोनों को संदेहास्पद बनाता है। अतः, साक्ष्यों के मूल्यांकन के आधार पर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि दिनांक 12/06/2017 को प्रातः 09:00 बजे वादी के खेत पर गोलीबारी की ऐसी कोई भी घटना घटित ही नहीं हुई थी।

38. घटनास्थल का निर्धारण भी अभियोजन के मामले में एक बड़ी विफलता है। अभियोजन के अनुसार घटनास्थल वादी का वह खेत है जहाँ ट्रैक्टर से लेवलिंग हो रही थी। पी०डब्लू०–7 विवेचक ने अपनी निशानदेही और वादी के बताने पर नक्शानजरी (प्रदर्श क–3) तैयार किया। परंतु, घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान विवेचक को वहाँ न तो कोई लेवलिंग करता हुआ ट्रैक्टर मिला, न ही ट्रैक्टर के टायरों के ताजे निशान मिले। गोलीबारी की घटना को सिद्ध करने वाला कोई भी भौतिक साक्ष्य—जैसे चली हुई गोलियों के खाली खोखे, कारतूस, बुलेट, दीवार या पेड़ (शीशम) पर गोली लगने के निशान, या खून के धब्बे—घटनास्थल से बरामद नहीं हुए। पी०डब्लू०–7 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट स्वीकार किया है कि "घटनास्थल पर कहीं भी कोई खोखे कारतूस नहीं मिले... शीशम के पेड या घटनास्थल पर कहीं भी कोई फायरिंग के कोई चिन्ह भी नहीं मिले।" जब घटनास्थल पर अपराध कारित होने का कोई भी भौतिक चिह्न विद्यमान ही नहीं है, तो उस स्थान को अपराध स्थल के रूप में कैसे स्वीकार किया जा सकता है? चक्षुदर्शी साक्षियों ने यह भी

कहा कि अभियुक्तों ने ईंट–पत्थर भी फेंके, परंतु विवेचक को घटनास्थल से ऐसे कोई विशेष ईंट–पत्थर भी नहीं मिले जिन्हें साक्ष्य के रूप में ज़ब्त किया गया हो। यह स्थापित विधिक सिद्धांत है कि मौखिक साक्ष्य की पुष्टि भौतिक परिस्थितियों से होनी चाहिए। जब भौतिक परिस्थितियां मौखिक साक्ष्य को पूर्णतः नकार रही हों, तो घटनास्थल का अभियोजन कथानक स्वतः ही ध्वस्त हो जाता है। अतः यह सिद्ध नहीं होता कि बताए गए स्थान पर कोई अपराध घटित हुआ था।

39. अभियुक्तों और वादी की अपराध स्थल पर उपस्थिति का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि यह संपूर्ण मामला पूर्व निर्धारित वैमनस्यता के आधार पर गढ़ा गया है। वादी पी०डब्लू०–1 का यह कहना कि सभी 10 अभियुक्त (जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल हैं) एक साथ हथियारों से लैस होकर आए, एक अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय वर्णन है। बचाव पक्ष ने यह मजबूती से स्थापित किया है कि दोनों पक्षों के बीच अनेक दीवानी और दाण्डिक मुकदमे चल रहे हैं। अभियोजन का यह दावा कि अभियुक्तों ने वहां आकर गोलियां चलाईं, किसी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष साक्ष्य से पुष्ट नहीं होता। जो साक्षी (पी०डब्लू०–2 से 5) खुद को वहां उपस्थित बताते हैं, वे सभी संयोगिक साक्षी हैं, जिनका वहां उपस्थित होने का कोई ठोस कारण नहीं था (जैसे बकरियां चराना या खेत से गुजरना), और वे सभी वादी के पक्षकार या अभियुक्तों के विरोधी हैं। दूसरी ओर, अभियुक्तों की उपस्थिति केवल इन द्वेषपूर्ण साक्षियों के कथनों पर आधारित है, जिसे भौतिक साक्ष्यों का शून्य होना पूर्णतः झुठला देता है। अतः यह सिद्ध नहीं होता कि वादी और दसों अभियुक्तगण कथित तिथि और समय पर कथित अपराध स्थल पर उपस्थित थे और उनके बीच कोई हिंसक घटना हुई थी।

40. बरामदगी के बिंदु पर अभियोजन का मामला पूर्णतः शून्य है। संपूर्ण विवेचना के दौरान और विचारण के अंत तक, पुलिस द्वारा किसी भी अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त कोई भी अवैध आयुध (राइफल, देशी पिस्तौल, तमंचा, लाठी या डंडा) बरामद नहीं किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम (अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023) की धारा 27 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी इस प्रकरण में नहीं है। पी०डब्लू०–7 विवेचक ने स्वयं न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार किया है कि "कोई असलाह की बरामदगी नहीं हुयी। घटना का कोई भौतिक साक्ष्य नहीं मिला।" हथियारों की बरामदगी न होना और घटनास्थल से किसी भी प्रकार के बैलिस्टिक साक्ष्य का न मिलना, बचाव पक्ष के इस तर्क को पूरी तरह से सिद्ध करता है कि फायरिंग की कोई घटना हुई ही नहीं थी।

41. चिकित्सीय और फोरेंसिक साक्ष्य का विश्लेषण इस प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। जैसा कि पूर्व में भी उल्लेख किया गया है, यह पूर्णतः एक 'बिना चोट' का मामला

है। पी०डब्लू०–1 वादी लक्ष्मीनारायण, जो इस कथित जानलेवा हमले का मुख्य लक्ष्य था, को एक भी खरोंच नहीं आई है। पी०डब्लू०–3 चरन सिंह ने यह सफेद झूठ बोला कि उसने वादी के सिर, हाथ, पैर और पीठ पर लाठी–डंडों की चोटें देखीं, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Fahad v. State of U. P., 2018 (6) ALJ 737** में यह स्थापित किया गया है कि – "चिकित्सीय विधिक आख्या न्यायालय को यह राय बनाने में सहायता करती है कि घटना किस प्रकार घटित हुई होगी और कौन सा दाण्डिक प्रावधान लागू किया जाना है। यह चक्षुदर्शी साक्षियों के कथन का समर्थन कर सकती है या घटना को काफी हद तक असत्य सिद्ध कर सकती है।" वर्तमान प्रकरण में, चिकित्सीय साक्ष्य का पूर्ण अभाव चक्षुदर्शी साक्षियों (विशेषकर पी०डब्लू०–3) के कथनों को न केवल असत्य सिद्ध करता है, बल्कि यह भी प्रमाणित करता है कि लाठी–डंडों से मारपीट की कोई घटना घटित ही नहीं हुई।

42. हेतुक और आशय का विश्लेषण दाण्डिक मामलों में एक दिशा–निर्देशक का कार्य करता है। अभियोजन ने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि अभियुक्तों का वादी के साथ खेत की मेड़ और नाली को लेकर विवाद था, जो इस जानलेवा हमले का हेतुक था। पी०डब्लू०–1 ने स्वीकार किया है कि अभियुक्तों की मेड़ उसके खेत की मेड़ से मिली हुई नहीं है और न ही खेत की पैमाइश को लेकर कोई झगड़ा है, केवल उसने उच्च अधिकारियों को एक प्रार्थना पत्र दिया था। दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने यह सशक्त रूप से प्रमाणित किया है कि वादी और उसके गवाहों (पी०डब्लू०–2, 4, 5) के साथ अभियुक्तों की अत्यंत गंभीर और पुरानी दुश्मनी है। अभियुक्त दफेदार द्वारा पी०डब्लू०–2 और पी०डब्लू०–4 के विरुद्ध आगजनी और धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। पी०डब्लू०–5 राजपाल की पत्नी के कत्ल के मामले में भी गंभीर वैमनस्यता सिद्ध है। पी०डब्लू०–4 मुनेन्द्र द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध दीवानी मुकदमा किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Bhimappa Chandappa Hosamani and Ors. v. State of Karnataka, 2006 AIR SCW 5043** में यह स्थापित किया गया है कि – "हेतुक की उपस्थिति केवल एक परिस्थिति है जिसे साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि साक्षियों का साक्ष्य सत्य और आश्वस्त करने वाला प्रतीत होता है, तो हेतुक सिद्ध करने में विफलता घातक नहीं है।" परंतु यहाँ स्थिति विपरीत है। यहाँ साक्षियों का साक्ष्य पूर्णतः झूठा और अविश्वसनीय है, और सिद्ध हुआ "हेतुक" अभियुक्तों द्वारा अपराध करने का नहीं, बल्कि वादी और साक्षियों द्वारा अभियुक्तों को झूठे मुकदमे में फंसाने का है। यह पुरानी रंजिश और मुकदमों का दबाव बनाने के लिए रची गई एक दुर्भावनापूर्ण साजिश है।

43. अभियुक्तों के आशय के संबंध में, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत 'हत्या का प्रयास' सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि कार्य इस आशय या ज्ञान के साथ किया

गया हो कि यदि वह कार्य मृत्यु कारित कर देता, तो कर्ता हत्या का दोषी होता। यद्यपि यह विधिक सिद्धांत पूर्णतः सत्य है कि धारा 307 के लिए चोट का लगना अनिवार्य नहीं है, केवल आशय और ऐसा कार्य जो मृत्यु कारित करने में सक्षम हो, पर्याप्त है। परंतु, इस आशय और कार्य को विश्वसनीय साक्ष्यों द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए। वर्तमान प्रकरण में, 10 हथियारबंद लोगों द्वारा 30–40 फायर किए जाने का दावा किया गया है। यदि उनका आशय वास्तव में वादी की हत्या करने का होता, और वे इतनी बड़ी संख्या में आधुनिक हथियारों से लैस होकर आए होते, तो यह सर्वथा असंभव है कि 50–100 मीटर की दूरी से एक भी गोली वादी को न लगे। असल में, यह "फायरिंग" की घटना कभी हुई ही नहीं, इसलिए "हत्या के आशय" का प्रश्न ही काल्पनिक है। आशय की अनुपस्थिति इस तथ्य से भी पुष्ट होती है कि पुलिस को कोई भी भौतिक साक्ष्य नहीं मिला।

44. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सिद्धांत इस प्रकरण में अभियोजन के विरुद्ध जाते हैं। चूँकि प्रस्तुत किया गया प्रत्यक्ष साक्ष्य पूर्णतः अविश्वसनीय और मनगढ़ंत पाया गया है, परिस्थितियां इस बात की गवाही देती हैं कि यह मामला असत्य है। विलंब से दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट, साक्षियों का घोर हितबद्ध और वैमनस्यपूर्ण होना, कोई भी स्वतंत्र साक्षी न होना, और किसी भी प्रकार के भौतिक, बैलिस्टिक या चिकित्सीय साक्ष्य का पूर्ण अभाव —ये सभी परिस्थितियां मिलकर एक ऐसी कड़ी बनाती हैं जो केवल और केवल अभियुक्तों की निर्दोषता और वादी की दुर्भावना की ओर इशारा करती हैं। एक भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो अभियुक्तों के अपराध की ओर इंगित करती हो।

45. अभियुक्तगण एक राय होकर (विधिविरुद्ध जमाव बनाकर) अवैध आयुधों के साथ घटनास्थल पर आए? यह तथ्य पूर्णतः असिद्ध है। साक्षियों के कथनों में भारी विरोधाभास है। पी०डब्लू०–1 वादी का कहना है कि अभियुक्तगण अलग–अलग दिशाओं से आए। जबकि विवेचक पी०डब्लू०–7 ने नक्शानजरी बनाते समय वादी के बताए अनुसार सभी अभियुक्तों का एक ही दिशा से आना तीरों के निशान से दर्शाया है और यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि "उसे वादी ने यह नहीं बताया था कि घटनास्थल पर अभियुक्तगण अलग–अलग दिशाओं से आये थे।" इसके अतिरिक्त, पी०डब्लू०–5 राजपाल यह तो कहता है कि उसने अभियुक्तों को आते देखा, परंतु यह नहीं बता पाता कि वे कहाँ से आए, कितनी दूरी तय की और किस प्रकार एकत्रित हुए। साक्षियों द्वारा हथियारों के वर्णन में भी विरोधाभास है। पी०डब्लू०–1 लिखित सूचना में केवल "नाजायज असलाहों" का जिक्र करता है, परंतु न्यायालय में वह विशिष्ट हथियारों का विवरण देता है। यह अतिरंजना स्पष्ट रूप से बाद की सोच का परिणाम है। अतः विधिविरुद्ध जमाव का गठन और हथियारों से लैस होना सिद्ध नहीं होता।

46. पी०डब्लू०–1, पी०डब्लू०–2, और पी०डब्लू०–4 लगातार यह दावा करते हैं कि अभियुक्तों ने लक्ष्मीनारायण पर ताबड़तोड़ और अनगिनत फायर किए। पी०डब्लू०–2 तो यहाँ तक कहता है कि 15–20 मिनट तक 30–40 फायर हुए। विधिक दृष्टि से और सामान्य मानव अनुभव के आधार पर यह असंभव है कि 10 लोग इतने समय तक और इतने करीब से फायर करें और वादी, उसकी पत्नी या किसी अन्य को एक भी गोली न लगे। पी०डब्लू०–4 ने यह झूठ गढ़ने का प्रयास किया कि "कई फायर पेड़ पर लगे। दरोगाजी ने पेड़ पर लगे फायर देखे थे।" जबकि विवेचक पी०डब्लू०–7 ने न्यायालय के समक्ष शपथ पर स्पष्ट रूप से इसका खंडन किया और कहा कि "शीशम के पेड या घटनास्थल पर कहीं भी कोई फायरिंग के कोई चिन्ह भी नहीं मिले।" बिना किसी बैलिस्टिक साक्ष्य, बिना किसी खोखे, बिना किसी छर्रे, और बिना किसी गोली के निशान के, केवल ऐसे साक्षियों के मौखिक बयानों के आधार पर गोलीबारी की घटना को सिद्ध नहीं माना जा सकता, जिनकी अभियुक्तों से जानी दुश्मनी हो। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **State of U.P. v. Krishna Master and Ors., 2010 AIR SCW 4733** में कहा है कि – "मौखिक साक्ष्य में विसंगतियाँ सामान्यतः होती हैं... जब तक कि वे मामले की जड़ तक न जाएं।" प्रस्तुत मामले में विसंगतियां मामले की जड़ तक जाती हैं और संपूर्ण कथानक को झूठा सिद्ध करती हैं।

47. पी०डब्लू०–3 चरन सिंह ने अभियोजन के मामले को मजबूत करने के अति–उत्साह में एक ऐसा सफेद झूठ बोला जिसने पूरे केस को ही नष्ट कर दिया। उसने कहा कि "उसके चाचा के शरीर पर लाठी–डंडों की काफी चोटें थीं... पीठ पर, हाथ, पैर, और जोड़ों पर और सर पर भी थीं।" यह कथन वादी पी०डब्लू०–1 के स्वयं के बयान के बिल्कुल विपरीत है, जिसने स्पष्ट रूप से इंकार किया है कि उसे किसी ने लाठी–डंडे से मारा। वादी ने कहा कि डंडे वाले उससे 100–200 मीटर दूर थे। सबसे बढ़कर, इस पूरे मामले में वादी का कोई मेडिकल मुआयना नहीं हुआ है। यदि सिर, पीठ और जोड़ों पर लाठी के कई प्रहार हुए होते, तो भारी चोटें आतीं और मेडिकल रिपोर्ट पत्रावली पर होती। इस प्रकार के घोर विरोधाभास और चिकित्सीय साक्ष्य के पूर्ण अभाव में, मारपीट का तथ्य मनगढ़ंत और असत्य सिद्ध होता है।

48. पी०डब्लू०–2 धीरेन्द्र, पी०डब्लू०–3 चरन सिंह, पी०डब्लू०–4 मुनेन्द्र, और पी०डब्लू०–5 राजपाल स्वतंत्र और विश्वसनीय चक्षुदर्शी साक्षी हैं यह तथ्य नकारात्मक रूप से सिद्ध होता है, अर्थात यह सिद्ध होता है कि ये सभी साक्षी घोर रूप से हितबद्ध, पक्षपातपूर्ण और पूर्व वैमनस्य रखने वाले झूठे गवाह हैं। पी०डब्लू०–2 और पी०डब्लू०–4 सगे भाई हैं। पी०डब्लू०–3 वादी का सगा भतीजा है। पी०डब्लू०–5 इनका करीबी सहयोगी है। इन सभी साक्षियों ने प्रतिपरीक्षा में बेबाकी से स्वीकार किया है कि अभियुक्तों के

साथ इनके कई दीवानी और दाण्डिक मुकदमे न्यायालयों में विचाराधीन हैं। पी०डब्लू०–5 राजपाल तो यहाँ तक रंजिश रखता है कि उसकी पत्नी की हत्या के मामले में उसे ही पुलिस ने फंसा दिया था और वह मानता है कि यह अभियुक्त पक्ष की वजह से हुआ। ऐसे साक्षियों का घटना के समय संयोग से वहां उपस्थित होना सर्वथा अप्राकृतिक और अविश्वसनीय है। इनका साक्ष्य न केवल एक–दूसरे से विरोधाभासी है, बल्कि भौतिक साक्ष्यों द्वारा भी पूर्णतः खंडित हो चुका है। अतः ये साक्षी किसी भी रूप में विश्वसनीय नहीं हैं और इनका साक्ष्य अग्राह्य है।

49. इस प्रकार अभियोजन का पूरा मामला, जो केवल हितबद्ध और वैमनस्यपूर्ण साक्षियों के मौखिक साक्ष्य पर टिका है, भौतिक साक्ष्यों के पूर्ण अभाव और गंभीर अंतर्विरोधों के कारण बुरी तरह विफल रहा है। अभियुक्तों के विरुद्ध लगाया गया कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है।

50. इस सत्र परीक्षण में सभी दस अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 147, 148, 307/149, और 504 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। प्रत्येक आरोप का विधिक विश्लेषण और साक्ष्यों के साथ उसकी ग्राह्यता का परीक्षण निम्नवत है: (क) धारा 147 एवं 148 भा.दं.सं. (बलवा और घातक आयुधों से सज्जित होकर बलवा करना) के आरोप: धारा 147 बलवा के लिए दंड का प्रावधान करती है, जबकि धारा 148 ऐसे बलवे के लिए है जहाँ अभियुक्त घातक आयुधों से सज्जित हों। बलवा का अपराध गठित होने के लिए सबसे आवश्यक शर्त धारा 141 के तहत "विधिविरुद्ध जमाव" का होना है, जिसमें पांच या अधिक व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकत्रित हों और बल या हिंसा का प्रयोग करें। अभियोजन का दायित्व था कि वह सिद्ध करे कि सभी 10 अभियुक्तगण एक सामान्य उद्देश्य से एकत्रित हुए और उन्होंने हथियारों का प्रयोग किया।

51. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाने का प्रयास करते हैं कि सभी अभियुक्त हथियार लेकर आए। परंतु, जैसा कि पूर्व में विस्तार से विवेचित किया जा चुका है, इन साक्षियों का यह कथन कि अभियुक्त एक साथ या एक सामान्य उद्देश्य से आए, पूरी तरह से झूठा और विरोधाभासी पाया गया है। विवेचक (पी०डब्लू०–7) ने न्यायालय में यह गवाही दी है कि उसे घटनास्थल से बलवे या हिंसा का कोई भी भौतिक चिह्न प्राप्त नहीं हुआ। जब हथियारों का कोई उपयोग ही सिद्ध नहीं है, और साक्षियों की उपस्थिति ही संदेहास्पद है, तो न तो कोई विधिविरुद्ध जमाव सिद्ध होता है और न ही घातक आयुधों से सज्जित होकर बलवा करना।

52. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **State of U.P. v. Subhash alias Pappu, AIR 2022 SC 1651** में स्पष्ट किया गया है कि – "विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य होने के लिए सामान्य उद्देश्य का साझा किया जाना और उसमें सक्रिय या निष्क्रिय भागीदारी आवश्यक है।" यहाँ,

चूँकि पूरी घटना ही असत्य और गढ़ी हुई पाई गई है, इसलिए धारा 147 और 148 के आरोप किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध सिद्ध नहीं होते। (ख) धारा 307 सपठित धारा 149 भा.दं.सं. (सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में हत्या का प्रयास): धारा 307 के अपराध के गठन के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त ने कोई कार्य ऐसे आशय या ज्ञान के साथ किया हो कि यदि वह मृत्यु कारित कर देता, तो वह हत्या का दोषी होता। अभियोजन का दावा है कि अभियुक्तों ने वादी को लक्ष्य कर 30 से 40 फायर किए। यदि अभियोजन की इस कहानी को एक क्षण के लिए सत्य मान भी लिया जाए, तो यह अत्यंत अविश्वसनीय है कि 10 हथियारबंद लोग 50–100 मीटर की दूरी से लगातार फायरिंग करें और एक भी गोली लक्ष्य को न लगे या आस–पास की किसी वस्तु पर कोई निशान न छोड़े। पुलिस द्वारा घटनास्थल से एक भी खोखा या छर्रा बरामद न होना इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि फायरिंग की कोई घटना हुई ही नहीं। इसके साथ धारा 149 लगाई गई है, जिसका अर्थ है कि यदि विधिविरुद्ध जमाव का कोई भी सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई अपराध करता है, तो सभी सदस्य उसके दोषी होंगे। जब यह सिद्ध ही नहीं हुआ कि कोई विधिविरुद्ध जमाव था, और न ही यह सिद्ध हुआ कि कोई फायरिंग हुई, तो हत्या के प्रयास और उसके लिए सभी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराने का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। अतः किसी भी अभियुक्त पर धारा 307/149 का आरोप सिद्ध नहीं होता। (ग) धारा 504 भा.दं.सं. (शांति भंग कराने के इरादे से साशय अपमान): धारा 504 के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त ने साशय किसी व्यक्ति का अपमान किया हो, जिससे उसे प्रकोपन मिले और वह लोक शांति भंग करे। अभियोजन के साक्षियों ने केवल एक सामान्य शब्दावली का प्रयोग किया है कि अभियुक्तगण "गाली–गलौज करते हुए आए।" किन विशिष्ट अपशब्दों या गालियों का प्रयोग किया गया, यह प्रथम सूचना रिपोर्ट या मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है। जब मुख्य घटना ही पूर्णतः झूठी और दुर्भावनापूर्ण सिद्ध हो चुकी है, तो गाली–गलौज करने का आरोप, जो उसी मिथ्या कथानक का एक अंग है, स्वतःही निरस्त हो जाता है। अतः धारा 504 का आरोप भी असिद्ध है।

53. इस प्रकरण में पुलिस विवेचना की गुणवत्ता और निष्पक्षता पर एक अत्यंत गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा होता है। विवेचना अधिकारी (पी०डब्लू०–7 निरीक्षक दिनेश कुमार वर्मा) ने स्वयं अपने साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि यह एक 'बिना चोट' का मामला है। उसने यह भी माना है कि घटनास्थल से न तो कोई खोखा मिला, न कोई कारतूस, न छर्रा, न बुलेट, न जली हुई फसल, और न ही शीशम के पेड़ या किसी अन्य स्थान पर फायरिंग के कोई निशान मिले। इतना ही नहीं, उसने यह भी स्वीकार किया कि घटना के समय वादी के खेत में जिस ट्रैक्टर का प्रयोग किया जा रहा था, न तो वह ट्रैक्टर मिला और न ही उसके चालक को खोजा गया या उसका बयान लिया गया। ऐसे पूर्णतः खोखले, बिना किसी भौतिक साक्ष्य वाले, और पुरानी रंजिश से प्रेरित मामले में, किसी भी निष्पक्ष विवेचक को

अंतिम रिपोर्ट लगानी चाहिए थी। परंतु, पी०डब्लू०–7 निरीक्षक दिनेश कुमार वर्मा ने घोर लापरवाही और दुर्भावनापूर्ण कृत्य का प्रदर्शन करते हुए सभी 10 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 307 जैसे गंभीर अपराध में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। यह कृत्य वादी के साथ विवेचक की मिलीभगत और एक निर्दोष परिवार को अनावश्यक न्यायिक प्रक्रिया में धकेलने का स्पष्ट प्रमाण है।

54. अभियुक्तगण (1) दयाराम, (2) दफेदार, (3) जिलेदार, (4) रामप्रकाश, (5) सत्यपाल, (6) औकेश, (7) मनोज, (8) श्रीमती हीरावती, (9) पप्पी, एवं (10) श्रीमती सोमवती के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप पूर्णतः असिद्ध पाए गए हैं। अभियोजन किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है।

55. उपरोक्त विश्लेषण और निष्कर्षों के आधार पर अभियुक्तगण दयाराम, दफेदार, जिलेदार, रामप्रकाश, सत्यपाल, औकेश, मनोज, श्रीमती हीरावती, पप्पी एवं श्रीमती सोमवती दोषी नहीं पाए जाते हैं और वे धारा 147, 148, 307/149, 504 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

आदेश

56. अभियुक्तगण(1) दयाराम पुत्र बाबूराम, (2) दफेदार पुत्र दयाराम, (3) जिलेदार पुत्र दयाराम, (4)रामप्रकाश पुत्र मौजीराम, (5) सत्यपाल पुत्र मौजीराम, (6) औकेश पुत्र मौजीराम, (7) मनोज पुत्र मौजीराम, (8) श्रीमती हीरावती पत्नी सत्यपाल, (9) पप्पी पुत्री दयाराम, (10) श्रीमती सोमवती पत्नी दयाराम, निवासीगण–बहलोलपुर, थाना–सकीट जिला एटा को थाना सकीट के मु.अ.स. 139/2017 से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 307/149, 504 के आरोपों से एतद्द्वारा दोषमुक्त किया जाता है।

57. सभी अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं और प्रतिभुओं को दायित्व से मुक्त किया जाता है।

58. अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वे इस दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध यदि कोई अपील या अपील के लिए अनुमति याचिका उच्चतर न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है, तो उस न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 481 के अनुपालन में इस न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार नए व्यक्तिगत बंधपत्र और प्रतिभू प्रस्तुत करें।

59. इस प्रकरण में विवेचना अधिकारी पी०डब्लू०–7 निरीक्षक दिनेश कुमार वर्मा का कृत्य घोर लापरवाहीपूर्ण और दोषपूर्ण पाया गया है, जिन्होंने बिना किसी भौतिक, बैलिस्टिक या चिकित्सीय साक्ष्य के एक निर्दोष परिवार के विरुद्ध हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धारा में आरोप–पत्र दाखिल कर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया। अतः वरिष्ठ पुलिस

अधीक्षक, एटा को निर्देशित किया जाता है कि वे विवेचना अधिकारी निरीक्षक दिनेश कुमार वर्मा के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित करें और की गई कार्यवाही से इस न्यायालय को अवगत कराएं।

दिनांक: 17–07–2026

(मनीषा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01, एटा

यह दण्डादेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं सुनाया गया।

दिनांक: 17–07–2026

(मनीषा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01, एटा